

## v/; k; & 3 i pk; rka dks jktLo gLrkaj .k

राज्य सरकार पंचायतों को विशेषतया **xte i pk; rka** को राज्य के राजस्व में राजस्व— अंशभागिता एवं विभिन्न उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। इसके अतिरिक्त पंचायतों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी.आर.डी.ए) से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (के.प्र.यो.) के क्रियान्वयन के लिये भी कुछ राशि हस्तांतरित की जाती है तथा कुछ राज्य के कतिपय संबंधित विभागों से उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें केन्द्रीय वित्त आयोग के अधिनिर्णयों के अंतर्गत भी सहायता अनुदान दिये जाते हैं। वास्तव में विभिन्न स्तरों की पंचायतों के द्वारा सभी प्रकार के अंशभाग के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता उनके समग्र संसाधनों का बहुत बड़ा भाग होती है, जिसके अभाव में पंचायतों का अस्तित्व ही कठिन होगा।

### 3.1.0 सौंपे गये राजस्व के माध्यम से राजस्व अंशभागिता :

राज्य सरकार अपने स्वयं के साधनों के एक भाग को निम्न प्रकार से पंचायतों को हस्तांतरित करती रही है :

#### 3.1.1 भू-राजस्व :

**Hk&jktLo** की संपूर्ण शुद्ध प्राप्ति को संबंधित विधिक प्रावधान के अंतर्गत **xte i pk; rka** को संग्रहण के आधार पर सामान्य उद्देशीय अनुदान के रूप में हस्तांतरित किया जाता है। **Hk&jktLo** की शुद्ध प्राप्तियों को **xte i pk; rka** को प्रदान करने के पूर्व प्रथमतः उसे **ftyk i pk; rh jkt dksk** में जमा किया जाता है, जो जिला स्तर पर स्थापित एवं जिले के कलेक्टर द्वारा प्रशासित होता है।

#### 3.1.2 सामान्य भू-उपकर :

राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 74 (1) के अनुसार रु. 0.50 प्रति एक रूपया **Hk&jktLo** की दर से **Hk&jktLo** पर उपकर

लगाती है। इस भू-उपकर से प्राप्त शुद्ध राशि को भी **॥&jktLo** की भांति **xte ipk; rka** को हस्तांतरित किया जाता है।

### 3.1.3 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क :

पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 75 के अंतर्गत राज्य सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन ब्लाक में स्थित अचल सम्पत्ति की बिक्री, दान अथवा उसे गिरवी रखने संबंधी दस्तावेजों पर अधिरोपित शुल्क में ऐसी संपत्ति के मूल्य पर अथवा गिरवी के मामलों में दस्तावेज द्वारा सुरक्षित राशि पर एक प्रतिशत की वृद्धि की है। इस 1% की अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली राज्य सरकार प्रमुख स्टाम्प शुल्क के साथ ही करती है तथा प्राप्त राशि को प्रथमतः राज्य सरकार अपने पास जमा करती है। बाद में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के राजस्व के बराबर राशि को **tuin ipk; rka** को वसूली के आधार पर सहायता के रूप में दिया जाता है।

### 3.1.4 बिक्री कर पर अधिभार :

यद्यपि पंचायती राज अधिनियम, 1993 में इस बात का विशिष्ट उल्लेख नहीं है, कि बिक्री कर पर अधिभार लगाया जाय तथा उसके राजस्व के एक भाग का हस्तांतरण पंचायतों को किया जाय, फिर भी राज्य सरकार उसके द्वारा बिक्री कर पर लगाये गये 10% अधिभार से प्राप्त राशि के 30% का हस्तांतरण **xte ipk; rka** को करती रही है। यह अधिरोपण XIवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है।

### 3.1.5 लघु खनिजों पर रॉयल्टी :

राज्य सरकार लघु खनिजों के दोहन से प्राप्त रॉयल्टी के एक भाग को **xte ipk; rka** एवं **tuin ipk; rka** को वसूली के आधार पर क्रमशः 4:1 के

अनुपात में सौंपती है। **I kj.kh Ø 3-1** में इस स्रोत से प्राप्त एवं पंचायतों को सरकार द्वारा हस्तांतरित राजस्व की मात्रा दर्शायी गयी है।

3.1.6 राज्य प्रशासित कर एवं गैर-कर प्राप्तियों के कुछ भाग को पंचायतों को सौंपने के अतिरिक्त सरकार **tuin ipk; rka** एवं **ftyk ipk; rka** द्वारा अधिरोपित क्रमशः **^d'k Hkaie ij fodkl dj^ rFkk ^c<k gqk Hka&midj^** (यदि लगाया जाता है), के निर्धारण एवं संग्रहण का अभिकर्ता कार्य भी करती है तथा प्राप्त राशियों को पंचायतों को सरकार द्वारा जारी विधिक विनियमों के अनुसार हस्तांतरित करती है।

3.1.7 पिछले परिच्छेदों में वर्णित पंचायतों के सभी राजस्व हस्तांतरणों से होने वाले समग्र राशि प्रवाह के प्रत्येक मद की मात्रात्मक समीक्षा पर्याप्त सांख्यिकीय जानकारी के अभाव में नहीं की जा सकती। राज्य सरकार ने हमें इनमें से केवल तीन मदों— अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क पर अधिभार में अंशभाग तथा लघु खनिजों पर रॉयल्टी— के संबंध में, वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के लिये राज्य स्तर पर जारी की गई राशियों की जानकारी उपलब्ध करायी। हमें **Hka&jktLo** एवं सामान्य भू-उपकर से प्राप्त राजस्व की पंचायतों के हस्तांतरण की कोई जानकारी नहीं है। हमारा अनुमान है, कि इन राजस्वों का हस्तांतरण जिला स्तर से ही हो जाने के कारण राज्य स्तरीय संबंधित विभाग के पास ये आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतएव हमारी मान्यता है, कि शुद्ध **Hka&jktLo** एवं **I kekl; Hka&midj** राज्य सरकार द्वारा वसूले गये सकल **Hka&jktLo** का 135% है (100% **Hka&jktLo**, जमा **Hka&jktLo** का 50% सामान्य भू-उपकर (-)10% संग्रहण लागत)। तदनुसार ही हमने इन दो स्रोतों से होने वाले विधिक राजस्व हस्तांतरणों की मात्रा का निर्धारण किया। **I kj.kh Ø 3-2** में 2001-02 से 2005-06 में **Hka&jktLo** एवं भू-उपकर का अनुमानित राजस्व एवं पंचायतों को हस्तांतरित राशियां दर्शायी गयी हैं।

3.1.8 **I kj.kh Ø- 34** में राज्य सरकार के कतिपय विशिष्ट राजस्व स्रोतों में से पंचायतों को सौंपी गयी राशियां दर्शायी गयी हैं। तथापि उस सारणी का सारांश यहाँ **I kj.kh Ø- 33** में दिया गया है।

**1 kj.kh Ø- 34** में अवलोकनीय है, कि यह मानते हुये भी कि राज्य सरकार ने **Hk&jktLo, I keku; Hk&mi dj , oay?kq [kfutks dh jk; YVh** से प्राप्त समस्त राजस्व पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया, फिर भी अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क (रु. 1 करोड़) एवं बिक्री कर पर अधिभार में अंशभाग (रु. 7.60 करोड़) के अंतर्गत 2001-02 से 2005-06 की अवधि में हस्तांतरित राशि में रु. 8.60 करोड़ की कमी है।

3.1.9 **vc ge jkT; foRr vk; ksx varj.k ds vfrfjDr i pk; rks ds I kfk jkTKLo vdkkkfxrk I xalkh fuEufyf[kr vuqk k; a djuk pkgxs %**

- (1) सर्वप्रथम, हमारी अनुशंसा है, कि राज्य सरकार, वर्ष 2007-08 में ही **tuin** एवं **xke i pk; rks** को कम उपलब्ध करायी गई रु. 8.60 करोड़ की राशि उन्हें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।
- (2) राज्य की प्रत्येक स्तर की पंचायतों को सशक्त करने के हमारे सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप हमारा विचार है, कि क्योंकि निजी व्यक्तियों तथा निगमित संस्थाओं के द्वारा अचल सम्पत्तियों के स्वामित्व का हस्तांतरण पंचायतों की किसी विशेष सेवा अथवा उनके हस्तक्षेप के बिना ही संपन्न होते हैं, अतः **vfrfjDr LVkEi 'kYd** से प्राप्त राजस्व का लाभ राज्य की तीनों स्तरों की पंचायतों को मिलना चाहिये। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की दर वर्तमान के **1%** से बढ़ाकर **2%** की जानी चाहिये। तदनु रूप अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संबंध में हमारी ये अनुशंसायें हैं : **i Fke]** पंचायती राज अधिनियम संबंधित प्रावधान (धारा 75) में संशोधन कर स्टाम्प शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क की दर वर्तमान के **1%** से बढ़ाकर **2%** की जाय। **f}rh; ]** स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का क्षेत्र **vkU/kz insk] rkfeYukMq djy** इत्यादि की भाँति, बढ़ाकर उसके दायरे में **^fofue; ^ , oa ^vpy I i fr; ks dh LFkk; h yht #** को भी लाया जाय। **r rh; ]** अतिरिक्त शुल्क से प्राप्त राशि को संबंधित **xke i pk; rks tuin i pk; rks** एवं **ftyk i pk; rks** में 3:1:1 के अनुपात में वितरित किया जाय। **vire]** अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में से वितरित राजस्व को राज्य की संचित निधि में जमा न किया जाय। इसके स्थान पर राजस्व हस्तांतरण में विलम्ब

को टालने के उद्देश्य से राजस्व को संबंधित जिला अधिकारियों के द्वारा  
**l h/s iR; d frekgh l xf/kr ipk; rka dks glrkrfjr djuk pkfg; A**

- (3) जहाँ तक **Hk&jktLo** एवं पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उस पर लगे अनेक उपकर/पूरक अधिरोपण का प्रश्न है, यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि **Hk&jktLo** पर एक अकेला उपकर प्रारम्भ किया जाय। राज्य सरकार सामान्य भू-उपकर जारी रखें, परन्तु **Hk&jktLo** पर 50% की दर से नहीं वरन् 250% की दर से तथा उससे प्राप्त राशि भू राजस्व राशि सहित संबंधित **ftyk ipk; rh jkt dksk** में जमा की जाय। हम यह भी अनुशंसा करते हैं, कि राज्य सरकार **Hk&jktLo** संग्रहण के बराबर राशि समतुल्य अनुदान (मैचिंग ग्राण्ट) के रूप में **ftyk ipk; r jkt dksk** में अपने योगदान के रूप में जमा करने पर विचार करे। इस संबंध में राज्य सरकार को अधिनियम में से **^df'k Hkfe; ka ij fodkl dj^** के प्रावधानों [धारा 74(2) एवं 77(3)] को विलोपित करना सुनिश्चित करना होगा। हम यह भी जोर देकर कहना चाहेंगे, कि राज्य सरकार को एक तरफा निर्णय लेकर, भू राजस्व की छूटें, अथवा प्रतिपूर्तियाँ एवं/अथवा उस पर उपकर जो पंचायतों की स्थिति को प्रभावित करते हों, न तो विलोपित करें और न स्वीकृत करें। ऐसे सभी मामलों में राज्य सरकार पंचायतों को क्षतिपूरक भुगतानों की व्यवस्था करें जो पंचायतों को हुई राजस्व हानि के बराबर हों।

- (4) हम अनुशंसा करते हैं, कि **xke ipk; rka** को **fcØh dj ds vf/kkkj** की राशि में से **xke ipk; rka** को हस्तांतरण होने वाली राशि वर्तमान 30% से बढ़ाकर 50% कर दी जाय तथा यह राजस्व **xke ipk; rka tuin ipk; rka** एवं **ftyk ipk; rka** में क्रमशः 3:1:1 के अनुपात में प्रति व्यक्ति आधार पर वितरित किया जाय। विकल्प के तौर पर राज्य सरकार द्वारा अधिभार की दर को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 15% कर दी जाय तथा

अधिभार से प्राप्त राशि की 1/3 को पंचायतों के तीनों स्तरों को ऊपर विनिर्दिष्ट अनुपात में वितरित किया जाय।

(5)  $y?kq [kfutka ij jk\|YVh$  से प्राप्त राजस्व का संबंधित  $tuin , oa xte ipk; rka$  को हस्तांतरण जारी रहे। परन्तु हमारी अनुशंसा है, कि इस राजस्व में  $xte ipk; rka$  एवं  $tuin ipk; rka$  की हिस्सेदारी 3:1 के अनुपात में हो।

(6)  $ifjPNn 2-4-6$  में हमने  $'ukV; 'kkyk dj^$  की चर्चा की थी, जो मात्र एक  $^'kks@in'ku dj^$  हैं। इस एक समान दर के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों पर मनोरंजन कर लगाया एवं वसूला जाता है। इस कर से राज्य सरकार को वर्ष 2004-05 में रु. 2.33 करोड़ तथा वर्ष 2005-06 (पु.अ.) में रु. 4.48 करोड़ प्राप्त हुये तथा वर्ष 2006-07 (ब.अ.) में इससे रु. 4.92 करोड़ राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों से भिन्न इस कर का राजस्व राज्य के स्वयं के कर राजस्व का अत्यन्त छोटा भाग है, जिसका मुख्य कारण राज्य में नाट्यगृहों की संख्या का अत्यन्त कम होना है।  $vk\|k insk$  में इस कर के राजस्व के 90% भाग को शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय शासन इकाइयों को हस्तांतरित किया जाता है।  $rkfeyukMq$  भी इसका अपवाद नहीं है, फिर भी राज्य के राजस्व में इस कर के न्यून राजकोषीय महत्व पर विचार करते हुये, हम अनुशंसा करते हैं, कि शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों  $'idsk ds eW; ^$  पर अधिरोपित मनोरंजन की सकल प्राप्तियों के 90% भाग को  $uxjikfyd l \&Fkkvka , oa ipk; rka$  में क्रमशः 2:1 के अनुपात में वितरित किया जाय। विभाजनीय कोष में से पंचायतों के अंशभाग को जिलों के  $ftyk ipk; rh jkt dksk$  में जिलों की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर हस्तांतरित किया जाय।

(7) वर्तमान में, राज्य का वनविभाग लघु वनोपज संग्रहित करता है तथा अनुसूची – V क्षेत्रों की पंचायतों को उसका कोई अंशभाग नहीं दिया जाता है। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम) (PESA) के प्रावधानों के अनुसार, **xte ipk; rka** के साथ लघुवनोपज की हिस्सेदारी आवश्यक है। इस अधिनियम की धारा 33(3) के अनुसार लघुवनोपज के दोहन और व्यापार पर किया गया समस्त खर्च घटाने के बाद संपूर्ण शुद्ध मुनाफा सहकारी समितियों को दिया जायेगा। समितियाँ मुनाफे का कम से कम 20% भाग वनों के पुनरोत्पादन पर वन विभाग के देख-रेख में लगाएगी, कम से कम 50% भाग संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में बांटेगी तथा शेष राशि सहकारी समिति अपने विवेकानुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में लगा सकेगी अथवा संग्राहकों को पत्ता संग्रहण के अनुपात में वितरित कर सकेगी। अतः आयोग का मत है, कि चूँकि **xte ipk; rka** का मूल दायित्व मूलभूत सुविधायें प्रदान करना होता है, इसलिए शेष राशि 30% समितियों से **xte ipk; rka** को हस्तांतरित की जावे। **xte ipk; rka** के बीच इस राशि के वितरण का आधार जनसंख्या हो। **rnuq i ipk; r micU/k %uq fpr {ks-ka ij foLrkj½ vf/kfu; e} 1996 %d%nh; vf/kfu; e½ dh /kjk 33½½ ea l dksku fd; k tka**

(8) हम यह भी अनुशंसा करते हैं, कि कृषि उत्पाद विपणन परिसंघ (APMFC) के द्वारा संग्रहित राजस्व का 50% **LFkuh; fudk; ka** को हस्तांतरित किया जाए। इस राजस्व का 80% ग्रामीण स्थानीय निकायों में **tuin ipk; rka** एवं **xte ipk; rka** में क्रमशः 1:2 के अनुपात में वितरण किया जाए तथा इन निकायों के अंतर्गत समानता के आधार पर वितरण किया जाए तथा शेष 20% **uxjh; LFkuh; fudk; ka** में **uxj ikfydk ifj"knka , oa uxj ipk; rka** में क्रमशः 7:18 के अनुपात में वितरित किया जाए तथा इन निकायों के अंतर्गत भी समानता के आधार पर वितरण किया जाए।

***rnuq i d'k mit e.Mh vf/kfu; e ea vko'; d l dks'ku fd; k tk, A***

- (9) जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया है, ***Hk&jktLo*** एवं ***l kekU; Hk&midj*** के राजस्व का हिस्सा ***ftyk ipk; rh jkt dksk*** में जमा किया जाना जारी रखा जाय, तथापि हम इस राजस्व के पंचायतों को सीधे हस्तांतरण के पक्ष में नहीं हैं। इसके स्थान पर इस कोष का जिसमें केवल ***Hk&jktLo*** एवं उस पर उपकर की प्राप्तियाँ एवं मनोरंजन कर में पंचायतों का अंशभाग ही शामिल न होकर, राज्य सरकार, अनिवासी भारतीय, निजी व्यक्तियों एवं निगमित निकायों के योगदान भी शामिल होंगे, का उपयोग पंचायतों को ऐसे लाभकारी उपक्रम प्रारंभ करने के लिये ऋण पूँजी के रूप में सहायता करने के लिये किया जा सकता है, जो स्व-परिशोधन प्रकृति के होंगे। यह कोष गैर समयातीत होना चाहिये तथा संबंधित ***ftyk ipk; r*** के सी.ई.ओ. से विचार विमर्श के साथ इस पर जिला कलेक्टर का प्रशासकीय नियन्त्रण होना चाहिये।

3.1.10 ***vk; ksx vuqka k djrk g\$ fd jkT; ljdkj tuin ipk; rka , oa xke ipk; rka dks 2007&08 ea gh vfrfjDr LVKEi 'kq'd , oa fcØh dj ij vf/kkjk ds valkkkx dh :- 8-60 djkm+ dh cdk; k n\$ jkf'k %n\$kj l kj.kh Ø 3-4½ dk Hkqrku djus ds l kfk&l kfk l k\$ s x; s jktLo ds vU; fdl h en dh 2001&02 l s 2006&07 dh vof/k dh cdk; k jkf'k; ka dk Hkqrku Hkh fd; k tk; A***

3.1.11 हम पिछले परिच्छेदों में हमारे द्वारा की गई अनुशंसाओं का सारांश देना चाहेंगे। हमारे द्वारा सुझाया गया परिदृश्य ***l kj.kh Ø- 3-5*** में दिया गया है।

3.1.12 इस संबंध में हम उल्लेख करना चाहेंगे, कि आयोग के लिये सौंपे गये राजस्व संबंधी उसकी अनुशंसाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले संभावित अतिरिक्त राजस्व



का आकलन करना संभव नहीं है। फिर भी हम इस संबंध में तीन सामान्य अनुशासार्थे करना चार्हेगे। **ifke]** राज्य पंचायती राज अधिनियम, 1993 को संशोधित कर, उसमें हमारी अनुशासाओं के अंतर्गत सौंपे गये, राजस्व के विधिक हस्तांतरण का प्रावधान किया जाय। **f}rh;]** ये सौंपे गये राजस्व राज्य के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व के विभाजनीय कोष में शामिल नहीं होंगे। अतएव ये रा**forr vk; ksx** की अनुशासाओं के अंतर्गत प्रस्तावित वैश्विक अंशभागिता अथवा अंतरण के दायरे के बाहर रहेंगे। **r}rh;]** परिच्छेद 3.1.9 में वर्णित सौंपे गये राजस्व के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व हस्तांतरण 'अबाधित' भुगतान होंगे, जो सभी स्तरों की पंचायतों के 'सामान्य अथवा अबाधित कोष' का अंग होंगे। संबंधित पंचायतें इन राशियों का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिये करने हेतु स्वतंत्र होगी; तथापि सरकार आदेश दे सकती है, कि संबंधित पंचायतें किसी 1 वर्ष में सौंपे गये राजस्व से प्राप्त कुल राशि का अधिकतम 30% तक उनके द्वारा नियुक्त स्टाफ के वेतन एवं मजदूरी पर तथा 20% तक पंचायत के महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय कर सकेगी।

### 3.2.0 सहायता अनुदान :

#### 3.2.1 पंचायत वित्त में अनुदानों की भूमिका :

1. ग्राम पंचायतें : **Hk&jktLo] l keU; Hk&mi dj] y/kq [kfutka ij jkllYVh ,oa fcØh dj ij vf/Hk&j** में अंशभागिता के अतिरिक्त **xte ipk; rra** राज्य एवं केन्द्र सरकार से अनेक प्रकार के अनुदान प्राप्त करती हैं। वास्तव में ग्राम स्तर पर इन संस्थाओं को अनेक कार्यों के लिये देश के अनेक अन्य राज्यों में इनके प्रतिरूपों से कहीं अधिक मात्रा में साधन प्राप्त होते हैं। एक प्रकार से राज्य की **xte ipk; rra** की बाहरी स्रोतों पर निर्भरता अत्यधिक है, क्योंकि उनका आंतरिक संग्रहण अत्यन्त कम है तथा वह उनके समग्र संसाधनों का एक नगण्य अनुपात है। **\*fulkjrk y{k.k'** इन पंचायतों पर हावी है, जो दीर्घकाल में इनकी निरंतरता के लिये शुभ संकेत नहीं है।

**I kj.kh Ø- 3-6** में हमारी 2728 न्या.ग्रा.पं. के द्वारा 1999–2000 एवं 2003–04 में **iklr vupkukā dk I kjkāk** दिया गया है। सारणी में दिये गये आकड़ों के आधार पर हम निम्नलिखित विचार व्यक्त करना चाहेंगे :

- (i) न्या.ग्रा.पंचायतों के द्वारा 1999–2000 एवं 2003–04 में राज्य एवं केन्द्र दोनों सरकारों से सौंपे गये राजस्व एवं सहायता अनुदान से प्राप्त संसाधनों की सकल राशि क्रमशः रू. 53.29 करोड़ एवं रू. 72.91 करोड़ थी। चूँकि हमारा न्यादर्श प्रतिनिधि न्यादर्श है, जिसमें सभी जिलों की पंचायतें हैं तथा उसका आकार भी अत्यन्त सार्थक है, अतः हम न्यादर्शी आकड़ों को राज्य की समग्र 9820 **xte ipk; rka** के लिये सुरक्षित रूप से प्रक्षेपित कर सकते हैं। तदनुसार जैसा कि **I kj.kh Ø- 3-7** में अवलोकनीय है, वर्ष 2003–04 के लिये 9820 **xte ipk; rka** को बाहरी सहायता की सकल मात्रा रूपये 262.45 करोड़ होती है, जो राज्य की **xte ipk; rka** की समग्र प्राप्तियों का 93% हैं। दी गई अवधि में इन बाहरी स्रोतों में 37% की वृद्धि हुई।
- (ii) **ʼjkfoRr vk; ks vrj.kʼ** के अंतर्गत न्या.ग्रा.पंचायतों को दी गई सहायता वर्ष 1999–2000 एवं 2003–04 में उनको उपलब्ध कुल बाहरी स्रोतों का क्रमशः 14.46% एवं 13.17% थी। निरपेक्ष रूप में 'रा**foRr vk; ks** अंतरण' द्वारा प्रदत्त अनुदान 1999–2000 के रू. 8.23 करोड़ से बढ़कर 2003–04 में रू. 10.32 करोड़ हो गया, जो इस अवधि में 25% वृद्धि को दर्शाता है।
- (iii) जहाँ तक न्या.ग्रा.पंचायतों द्वारा प्राप्त अनुदानों के व्यक्तिगत घटकों का संबंध है, संदर्भित अवधि में सर्वाधिक वृद्धि लगभग 170% **ʼfo'ks'k mnrks'kh; @fof'k'Vʼ** अनुदानों में दर्ज की गई। इसके विपरीत **Hk&jktLo** के बदले न्या.ग्रा.पंचायतों को प्रदत्त अनुदान की राशि में काफी गिरावट पाई गयी। उपलब्ध आकड़े बताते हैं, कि **Hk&jktLo** अनुदान की प्राप्ति (जिन्हें **ʼI ks x; sjktLoʼ** में वर्गीकृत किया जा

सकता है) जो 1999–2000 में रु. 3.07 करोड़ थीं, कम हो कर 2003–04 में रु. 0.78 करोड़ रह गई। न्या.ग्रा.पंचायतों की कुल प्राप्तियों में उनके सापेक्षिक अंशभाग के रूप में यह प्रतिशत 1999–2000 के 5.40 से कम होकर 2003–04 में 1.00 रह गया।

- (iv) न्या.ग्रा.पंचायतों को **~dlnz , oajkT; idfr~ ; kstukvk** के अंतर्गत प्राप्त अनुदान वर्ष 1999–2000 में रु. 26.43 करोड़ था, बढ़कर 2003–04 में रु. 36.16 करोड़ हो गया अर्थात् इस अवधि में उनमें 37% की वृद्धि हुई। चुने हुये 2 वर्षों में न्या.ग्रा.पंचायतों द्वारा प्राप्त कुल अनुदानों में इन अनुदानों का काफी बड़ा अंशभाग 46% रहा।
- (v) वर्ष 2003–04 में न्या.ग्रा.पंचायतों द्वारा प्राप्त **ifr 0; fDr vuqku** (2001 जनगणना) रु. 158 था, जबकि उनकी सकल प्रति व्यक्ति प्राप्तियाँ रूपये 170 थीं।

## 2. जनपद पंचायतें :

राज्य की 146 **tuin ipk; rka** को प्रदत्त सौंपे गये राजस्व एवं सहायता अनुदानों के प्रमुख वर्गों की रूपरेखा **lkj.kh Ø- 3-8** में दर्शित है। सारणी में अवलोकनीय है कि :

- (i) वर्ष 1999–2000 एवं 2003–04 के बीच मध्यवर्ती पंचायतों को वितरित अनुदानों एवं सौंपे गये राजस्व की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई क्रमशः रु. 110.75 करोड़ से रु. 214 करोड़। इस वृद्धि का आकार 93% है। इसके संभावित कारण हैं, राज्य के संबंधित विभागों द्वारा इन्हें अधिक अनुदान, स्टाम्प शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क एवं लघु खनिजों पर रायल्टी में से सौंपे गये राजस्व के अंतर्गत साधनों का अधिक प्रवाह तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत निरंतर वृद्धिमान राशि प्रवाह। तथापि इन

संस्थाओं की सहायता अनुदानों की निरपेक्ष राशि में थोड़ी सी कमी करनी होगी, क्योंकि समंकों में वे राशियाँ अथवा अनुदान भी शामिल हैं, जिन्हें **tuin ipk; rka** के द्वारा आगे **xke ipk; rka** को हस्तांतरित किया जाना है। फिर भी यह तथ्य अपनी जगह है, कि ये संस्थायें देश के अन्य अधिकांश राज्यों के अपने समरूपों की भांति 95% से 99% तक राज्य सहायता पर निर्भर हैं, उनकी यह निर्भरता 99% तक है। पूर्णतः राज्य सहायता पर उनकी निर्भरता राज्य सरकारों की इस प्रवृत्ति के कारण हैं, जिसमें वे इन संस्थाओं को अपने अन्य 'व्यय विभागों' की भांति मात्र 'क्रियान्वयन अभिकर्ता' के स्तर पर रखते हैं। भारत में जहां हम पंचायती राज की त्रि-स्तरीय व्यवस्था से प्रतिबद्ध हैं, हमने इन मध्यवर्ती (एवं जिला स्तरीय भी) पंचायतों को उपयुक्त राजस्व अर्जन शक्तियाँ/अधिकार प्रदान करने के अनेक उपलब्ध विकल्प प्रदान करने की संभावना नहीं खोजी है। भारत के अनेक राज्यों में उत्तरदायित्व, कर्तव्य एवं राजस्व अधिकारों का वितरण **xke ipk; rka** के पक्ष में विषम है, जो स्वयं अधिकांश राज्यों में अपने 'क्षेत्र के बाहर की' योजनाओं को क्रियान्वित करने की दृष्टि से प्रशासकीय एवं तकनीकी आधारों पर गैर-जीवनक्षम इकाइयाँ हैं। अतएव आयोग का राज्य सरकार से आग्रह है, कि वह राज्य की मध्यवर्ती एवं **ftyk ipk; rka** के द्वारा साधन संग्रहण के सभी संभावित स्रोतों को तलाशे। तथापि हमने ग्रामीण स्थानीय शासन की मध्यवर्ती एवं शीर्ष इकाइयों को स्वयं के उपयोग के लिये राजस्व के कतिपय अधिक साधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

- (ii) **tuin ipk; rka** को दिये गये एवं उन्हें प्राप्त कुल अनुदानों में 2/3 भाग **vflkdrkz dk; ka** के लिये अनुदान का है, जो राज्य के संबंधित विभागों एवं राज्य/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये दिया गया अनुदान है। इसके अतिरिक्त 1999-2000 से 2003-04 की अवधि

में इनका निरपेक्ष आकार भी दोगुना हो गया क्रमशः रु. 71.85 करोड़ तथा रु. 143.65 करोड़।

- (iii) **vfrfjDr LVkEi 'kq̄d rFkk y?kq [kfutka** में 20% के अंशभाग जैसे सौंपे गये राजस्व की प्राप्तियाँ भी इस अवधि में दो गुनी हो गयी। ये प्राप्तियाँ वर्ष 1999–2000 की रु. 3.38 करोड़ से बढ़कर 2003–04 में रु. 7.18 करोड़ हो गई, जो इस अवधि में 113% की वृद्धि बताती हैं।
- (iv) वर्ष 2003–04 में **tuin ipk; rka** द्वारा प्राप्त प्रति व्यक्ति अनुदान रु. 129 था, जबकि उनकी सकल प्रति व्यक्ति प्राप्तियाँ रु. 130 थीं।
- (v) राज्य की **tuin ipk; rka** को वर्ष 2006–07 तक कोई रा. **foRr vk; ksx** अंतरण अनुदान प्रदान नहीं किया गया है।

### 3. जिला पंचायत :

केवल **mRrj insk** एवं **mRrjkpy** की **ftyk ipk; rka** के संभावित अपवादों को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में जिला स्तरीय पंचायतें अपने अस्तित्व के लिये ही पूर्णतः राज्य सहायता पर निरंतर निर्भर बनी हुई हैं। हमारा प्रदेश भी इस सामान्य प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। हमारे प्रदेश में राज्य एवं केन्द्रीय राशियों पर उनकी निर्भरता लगभग शत प्रतिशत है। **lkj.kh Ø- 3-9** में अवलोकनीय है कि :

- (i) **ftyk ipk; rka** को संसाधन हस्तांतरणों की कुल मात्रा जो 2001–02 में रु. 356.94 करोड़ थी, बढ़कर 2003–04 में रु. 394.91 करोड़ हो गयी, जो समीक्षाधीन अवधि में मात्र लगभग 11% की वृद्धि है। वास्तव में वर्ष 2002–03 में कुल अनुदान राशि, जो इन शीर्ष स्तरीय पंचायतों को दी गई, रूपये 396.14 करोड़ थी। जो 2003–04 में भी लगभग उसी स्तर पर स्थिर रही।

- (ii) **tuin ipk; rka** की ही भांति इन पंचायतों के अनुदानों के प्रमुख घटकों में सर्वाधिक भाग **^vflkdrk/ dk; ka** का था, जो वर्ष 2003-04 में उनके सकल अनुदान प्राप्तियों का 74% था।
- (iii) वर्ष 2003-04 में राज्य की **ftyk ipk; rka** को प्राप्त प्रति व्यक्ति अनुदान रु. 237 था।
- (iv) वर्ष 2003-04 में **ftyk ipk; rka** को प्राप्त सकल अनुदानों में **^j kfoRr vk; ksx varj.k^** का अंश नाम मात्र का ही था, केवल 2%।
4. राज्य की विभिन्न स्तरों की पंचायतों की कुल प्राप्तियों में सहायता अनुदानों के अत्याधिक महत्व की समीक्षा को समाप्त करने के पूर्व हम पुनः उल्लेख करना चाहेंगे, इन तीनों स्तरों की पंचायतों द्वारा अपनायी जा रही लेखा प्रणाली एवं प्रक्रियायें संतोषजनक नहीं हैं। उनमें समकों की कमियाँ, गलत वर्गीकरण, कतिपय अनुदानों जिनका वितरण विभिन्न स्तरों की पंचायतों के माध्यम से होकर राशि अंतिम उपयोगकर्ता पंचायत के पास पहुंचती है, का दोहरा लेखांकन तथा सर्वाधिक पंचायतों में आयोग को अपने वित्त संबंधी विश्वसनीय पृथक-पृथक एवं पर्याप्त समंक उपलब्ध कराने में गंभीरता की कमी। सरल शब्दों में आयोग राज्य की विभिन्न स्तरों की पंचायतों द्वारा अपनी प्राप्तियों एवं व्ययों से संबंधित 'बताये गये' आकड़ों को अनंतिम एवं संकेतात्मक मानता है। फिर भी हमारा मत है, कि ये आकड़े हमें अपने राज्य के पंचायत वित्त के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं की कच्ची तस्वीर दे सकेंगे। इस पृष्ठभूमि में हमारा विश्वास है, कि राज्य स्तर पर पंचायत वित्त संबंधी समकों के नियमित एकत्रीकरण एवं परितुलन की किसी व्यवस्था का होना अत्यावश्यक है। अनेक राज्यों में पंचायत वित्त संबंधी विश्वसनीय एवं असमूहित जानकारी की कमी की समस्या से XIवें एवं XIIवें वित्त आयोगों को भी कठिनाई हुई थी। इस अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को सुधारने की दृष्टि से हम यह सुझाव देने के लिये बाध्य हैं, कि पंचायत संचालनालय में एक पृथक अनुश्रवण एवं

मूल्यांकन प्रकोष्ठ, जिसके संबंध में विस्तार से **ifjPNn 3-2-4 ¼0¼¼½** में बताया गया है, की स्थापना की जाय।

5. आयोग ने राज्य स्तर पर राज्य की विभिन्न स्तर की पंचायतों को वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक की अवधि में सौंपे गये राजस्व एवं अनुदानों के रूप में हुये संसाधन-प्रवाह की कुल मात्रा संबंधी वृहत्-स्तरीय सांख्यिकीय समंक प्राप्त करने के लिये जानकारी के अनेक स्रोतों का उपयोग किया। हमें इस प्रयास में आंशिक सफलता ही मिली। इस जानकारी का उपलब्धता की सीमा में संपादन, वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया, जो **I kj.kh Ø- 3-10** में अवलोकनीय है। आगे बढ़ने के पूर्व हम स्पष्ट करना चाहेंगे, कि 2001-02 से 2003-04 की अवधि के लिये तो काफी सीमा तक समंक उपलब्ध हैं, परन्तु ऊपर संदर्भित सारणी में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के पंचायतों को हुये राजस्व हस्तांतरणों के कतिपय मदों की जानकारी की कमी है। **I kj.kh Ø- 3-10** में अवलोकनीय है, कि राज्य की पंचायतों को राज्य वित्त आयोग अंतरण, राज्य पंचायत विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अनुदान तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अधिनिर्णय अनुसार अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य की पंचायतों को सौंपे गये राजस्व के रूप में दी गई कुल सहायता वर्ष 2001-02 में रु. 506.52 करोड़ थी, जो प्रमुख रूप से 2003-04 के लिये XIवें वित्त आयोग अनुदान की द्वितीय किश्त (रु. 22 करोड़ से कुछ अधिक) के जारी होने में देरी के कारण वर्ष 2003-04 में कम होकर रु. 498.83 करोड़ हो गयी। जहाँ तक पंचायतों को रा.**foRr vk; ks** अंतरण का प्रश्न है, वह 2001-02 में मात्र रु. 42.69 करोड़ से बढ़कर 2004-05 में रु. 83.76 करोड़ हो गये। इसी प्रकार पंचायतों को सौंपे गये राजस्व के रूप में हुये राजस्व हस्तांतरणों की कुल राशि 2001-02 में रु. 32.52 करोड़ से बढ़कर 2004-05 में रु. 52.83 करोड़ हो गयी। पंचायतों के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण केन्द्रीय अनुदानों में से एक XIIवें वित्त आयोग अनुदान जो रु. 123 करोड़ वार्षिक है, के फलस्वरूप वर्ष 2005-06 एवं उसके आगे पंचायतों के कोष के आकार में और वृद्धि की संभावना है।

3.2.2 वर्ष 2006-07 तक रा.वित्त आयोग अंतरण :

1 uoEcj] 2000 dks iFkd jkT; NRrhl x<+ ds fuekZk ds I e; vfoHkkftr e/; ins'k Ijdkj vius iFke jkfoRr vk;ksx dh vuqka kvka dks fØ; kflor dj jgh FkhA दूसरे वित्त आयोग जिसका गठन 17 जून, 1999 को किया गया था, का प्रतिवेदन उस समय सरकार को उपलब्ध नहीं था। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने अविभाजित राज्य में प्रचलित प्रक्रिया को संक्रमणकालीन उपाय के रूप में ज्यों का त्यों अपनाया। मध्यप्रदेश के प्रथम रा.foRr vk;ksx की अनुशासार्थ वर्ष 2001-02 से निरंतर आज दिनांक तक क्रियान्वित की जा रही हैं। gekjk fo'okl g\$ fd jkT; Ijdkj gekjs iFke jkfoRr vk;ksx dh vuqka kvka dks o"z 2007&08 I sykxwdj I dsxhA

e/; ins'k ds iFke jkfoRr vk;ksx dh vuqka kvka ds vuq#i jkT; Ijdkj us fi Nys ifjPNska ea gekjs }kjk of.kz i pk; rka dks I kfi s x; s jktLo ds #i ea gkus okys fof/kd jktLo gLrkaj.kka ds vfrfjDr vius Lo; a ds I dy dj , oa xj&dj jktLo ds 2.91% dks gLrkafjr djus dk fu.kz fy; k gA

- (1) राज्य कोष पर बढ़ते दबाव के बावजूद विशेषतया राज्य की शैशवस्था के संदर्भ में सरकार पिछले 6 वर्षों में लक्ष्य के अनुसार अपने स्वयं के सकल कर एवं गैर-कर राजस्व के 2.91% को पंचायतों को क्रमिक रूप में हस्तांतरित करने के गंभीर प्रयास करती रही है। निःसंदेह विशेष तौर से पिछले 3 वर्षों में इस निमित्त पंचायतों को हस्तांतरित राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, जो I kj.kh Ø- 3-11 में अवलोकनीय है। सारणी दर्शाती है, कि पंचायतों को जारी किये गये अनुदानों की राशि 2001-02 के रु. 42.69



करोड़ से बढ़कर, 2005-06 में रू. 99.18 करोड़ हो गयी, जो इस अवधि में 100% से अधिक की बड़ी छलांग है। पुनः कुल अंतरणों का 93% **ixte ipk; rka** को आधारभूत सेवाओं के लिये प्राप्त हुआ, तथा शेष **ftyk ipk; rka** का अंशभाग था। पुनः हमारी जानकारी के अनुसार **ftyk ipk; rka** को प्रदत्त अनुदान का कुछ भाग उनके द्वारा **tuin ,oa xte ipk; rka** को उनके आधिकारिक एवं गैर आधिकारिक कार्मिकों को मानदेय एवं भुगतान के लिये हस्तांतरित कर दिया जाता है।

- (2) **I kj.kh Ø 3-12** दर्शाती है, कि **jkfoRr vk;ksx varj.k ds varxr gkus okys vuqkuka dk gLrkrj.k] jkT; ds dy jktLo itflr;ka ds vuqkr ds #i ea** 2001-02 के 0.98% से बढ़कर 2005-06 में 1.26% हो गये। **I kj.kh Ø 3-13** दर्शाती है, कि **ipk; rka dks tkjh bu vuqkuka dh jkf'k I jdkj ds I dy dj ,oa xj&dj jktLo dk** 2001-02 में 1.572% तथा 2005-06 में 2.134% थी। अन्य शब्दों में पर्याप्त वृद्धिमान प्रवृत्ति के बावजूद राज्य के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व में पंचायतों का अंशभाग निर्धारित पाँच वर्ष की अवधि में 2.91% के लक्ष्य स्तर तक नहीं पहुँच सका।
- (3) हमने राज्य के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व के 2.91% के लक्ष्य स्तर एवं इसके विरुद्ध पंचायतों को जारी वास्तविक अनुदान राशि के बीच के राजस्व अंतराल के ऑकलन का प्रयास किया है। **I kj.kh Ø 3-14** में दर्शनीय है, **fd 2001&02 I s 2005&06 dh ikp o"iz dh vof/k ea jk foRr vk;ksx varj.k ds varxr de tkjh dh xbz jkf'k dkQh vf/kd #- 213-41 djkm+ Fkha** अन्य शब्दों में कम जारी की गई राशि

2001-02 से 2005-06 तक की पाँच वर्षों की अवधि में रा.foRr vk; ksx अनुदानों की वांछित कुल राशि का 39.47% थी, तथापि काफी बड़े आकार की इस राशि की व्यवस्था करने में राज्य कोष की सीमाओं को देखते हुये यह आयोग पंचायतों को इन 'बकाया' अनुदानों के भुगतान करने की अनुशंसा से बचना चाहेगा। fQj Hkh vk; ksx vk'kk djrk g\$ fd jkT; I jdkj o"K 2007&08 I s fuf'pr rk\$ ij jk-foRr vk; ksx vrj.k ,oa I k\$ s x; s jktLo I x'kh gekjh vuqk'k vk\$ ftUg os ekU; dj\$ ds iwk'; k vuq i fu; fer #i I s ,oa iwk' % i pk; rk dks jk'k tkjh djsxhA

### 3.2.3 अंतरण संबंधी हमारी अनुशंसायें :

अ. स्थापना हेतु अनुदान

#### 1. ग्राम पंचायत सचिवों के नियमित पद

- (i) वर्तमान में राज्य की कुल 166.48 लाख की ग्रामीण जनसंख्या के लिये जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 80% है, ग्राम स्तर पर ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की नीव स्तर की 9820 xte ipk; r\$ कार्यरत हैं। इनमें वे 700 xte ipk; r\$ भी शामिल हैं, जो पिछले 3 वर्षों में अतिरिक्त स्थापित की गई हैं। एक xte ipk; r के द्वारा

सेवित औसत जनसंख्या 1695 है, यद्यपि इस संख्या में अंतः जिला भिन्नतायें हैं। उदाहरणतया जनसंख्या के आधार पर विभिन्न जिलों में **xte ipk; r** का औसत आकार 1456 (कवर्धा) एवं 2014 (जांजगीर-चांपा) के बीच है। यद्यपि एक ऐसे राज्य में जिसमें आदिवासी जनसंख्या काफी है तथा उनमें से भी अधिकांश अनूसूची-V क्षेत्रों में स्थित बिखरी हुई बसाहटों में निवास करती है, सापेक्षिक रूप से और अधिक **xte ipk; rka** की स्थापना की आवश्यकता हो सकती है, परन्तु **xte ipk; rka** की संख्या अधिक बढ़ाने से उनकी प्रशासकीय एवं वित्तीय जीवन-क्षमता का विचार न भी करें, तो भी प्रशासनिक व्यय में वृद्धि, उनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण एवं निगरानी, अधिक स्टाफ, संकुचित संसाधन आधार, सेवाओं का प्रभावी प्रदाय इत्यादि समस्यायें उत्पन्न होंगी। वास्तव में किसी स्थानीय शासन इकाई की तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय जीवन-क्षमता काफी कुछ उस इकाई की स्थानिक एवं जनांकिकी विशेषताओं से प्रभावित होती है।

- (ii) आयोग का मत है, कि प्रत्येक **xte ipk; r** को पंचायत विभाग के एक नियमित कर्मचारी के रूप में दी जा रही, कार्यालयीन सहायता के प्रावधान को समाप्त करना एक प्रतिगामी कदम होगा। **xte ipk; rka** की कुल संख्या बढ़ाकर उनके द्वारा सेवित औसत जनसंख्या को कम करके उनके साथ गोलमाल करने के अतिरिक्त, नियमित पंचायत सचिव के पद को 'मरणशील कैडर (डाइंग कैडर) घोषित करना तथा **xte ipk; rka** को अपने गाँवों के ही किसी 10+2 की न्यूनतम योग्यता वाले व्यक्ति को अत्यन्त कम समेकित वेतन रू. 1500 शुद्ध प्रसंविदा आधार पर नियुक्त कर, उससे सचिव (पंचायतकर्मी) का कार्य लेने का अधिकार देना गलत दिशा में उठाया गया कदम होगा, जिसके गंभीर दूरगामी प्रभाव होंगे।

- (iii) इस पृष्ठभूमि में राज्य वित्त आयोग अंतरण, सौंपे गये राजस्व, राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित ग्रामीण विकास योजनाओं, केन्द्रीय वित्त आयोग के अधिनिर्णयों इत्यादि के रूप में राज्य एवं केन्द्र सरकार से संसाधनों की बढ़ती हुई मात्रा का **xte ipk; rks** को प्रवाह, निःसंदेह ग्राम स्तर पर पंचायतों के द्वारा, आयकर दाता से जुटाये गये सीमित साधनों का विवेकपूर्ण एवं निर्धारित उद्देश्यों पर ही व्यय हो यह सुनिश्चित करने के लिये उन पर कड़ी निगरानी एवं अनुश्रवण की तत्काल एवं अत्यन्त अधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त **xte ipk; rks** को बाहरी स्रोतों से बड़ी मात्रा में द्रव्य प्रवाह के देखते हुये, यह आवश्यक है, कि उनके वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के मूल सिद्धांतों का पालन किया जाय, परन्तु यह संदेहास्पद ही है, कि स्टाफ की वर्तमान तदर्थ व्यवस्था के रहते **xte ipk; r** अपने उपलब्ध साधनों का नियमानुकूल एवं निर्धारित उद्देश्यों में कुशलता एवं मितव्ययिता के मान्य सिद्धांत के अनुरूप उपयोग कर सकेंगी।
- (iv) वर्तमान में राज्य में **xte ipk; rks** द्वारा नियुक्त एवं उनके 'सचिव' के रूप में कार्यरत लगभग 7550 पंचायतकर्मी हैं। नियमित शासकीय पंचायत सचिव के कैंडर को 'मरणशील कैंडर' घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत विभाग के लगभग 2200 नियमित शासकीय कर्मचारी अभी भी **xte ipk; rks** में कार्यरत हैं। अगले कुछ वर्षों में सेवानिवृति एवं अन्य अप्रत्याशित कारणों से उनकी संख्या में और कमी होगी।
- (v) आयोग ने पाया, कि एक दशक से अधिक समय पूर्व हुये 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के फलस्वरूप, **xte ipk; rks** के

सरपंच पदों के लगभग 50% पर देश के सीमान्त वर्गों अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला-वर्ग के व्यक्ति आसीन रहे हैं। इनमें से अनेक व्यक्ति प्रथम बार सरपंच के इस राजनैतिक सार्वजनिक पद पर बैठे हैं तथा निरक्षर अथवा अर्द्ध-साक्षर हैं। उन्हें न केवल अपनी क्षमता-वृद्धि हेतु प्रशिक्षण चाहिये वरन् पंचायत प्रशासन के सामान्य 'क्या करें, क्या न करो - मामलों में उस पंचायत सचिव का दैनंदिन मार्गदर्शन आवश्यक है, जिससे अपेक्षा की जाती है, कि उसके पास पंचायत अधिनियम के प्रावधानों, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासकीय विनियमों एवं आदेशों तथा संबंधित रजिस्ट्रों, लेखों एवं अन्य दस्तावेजों के उचित रख-रखाव संबंधी पर्याप्त एवं अद्यतन ज्ञान है। सामान्यतया पंचायत सचिव कैडर के नियमित शासकीय कर्मचारी के पास पंचायत प्रशासन की आवश्यक जानकारी एवं कौशल होता है, इसके अतिरिक्त वह अपने कार्यों अकार्यों एवं सार्वजनिक राशियों के उपयोग के लिये सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है।

- (vi) आयोग ने यह भी पाया, कि राज्य की प्रत्येक **xte ipk; r** को चाहे वह किसी भी आकार एवं योग्यता की हों, अधिकतम रु. 5.00 लाख तक के अधिकार हैं तथा चैकों के द्वारा राशि निकालने के लिये सरपंच एवं सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर की प्रणाली लागू है। हमारी मान्यता है, कि 7550 **xte ipk; rka** जो राज्य की कुल **xte ipk; rka** का लगभग 77% है, की वर्तमान स्थिति जिसमें पंचायतकर्मि सचिव के रूप में कार्यरत हैं, के संदर्भ में इन व्यवस्थाओं के दूरगामी परिणाम होंगे। **xte ipk; rka** के इन अल्प वेतन संविदा कर्मचारियों को पंचायत प्रशासन संबंधी समय-समय पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण से भी अपने कार्य में आवश्यक योग्यता एवं दक्षता मिल सकेगी, नहीं लगता।

(vii) पिछले परिच्छेदों में व्यक्त हमारे विचार एवं चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में आयोग, **xte ipk; rka** के दैनंदिन प्रशासन को पंचायत कर्मियों को सौंपने की वर्तमान व्यवस्था की दक्षता के प्रति संशयशील है, भले ही वे ग्राम स्तर पर **xte ipk; r** के राजनैतिक प्रमुख के नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आयोग की जानकारी में मध्य प्रदेश को छोड़कर संभवतः अन्य किसी भी राज्य में **xte ipk; r** द्वारा एक विशुद्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, उसके सचिव के रूप में औपचारिक रूप से कार्य नहीं करता। अधिक से अधिक **xte ipk; rka** को एक लिपिक-सह-बिल संग्राहक एवं सफाईकर्मी, चौकीदार एवं भृत्य जैसे चतुर्थ-वर्ग के कर्मचारियों को निश्चित मासिक-वेतन अथवा पारिश्रमिक पर नियुक्त करने के अधिकार दिये गये हैं। इसी प्रकार जहाँ तक हमारी जानकारी है, किसी अन्य राज्य में एक पंचायत कर्मचारी जिसे मात्र अस्थाई रूप से रु. 1500 के निश्चित मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया हो, को ऐसे चैक पर सह-हस्ताक्षर कर्ता के रूप में हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जो बैंक अथवा जिला कोषालय से लाख नहीं, तो हजारों रूपये निकालने के उपयोग में आता हो। आयोग इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना एवं अपने राज्य के **xte ipk; r** कार्यालयों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कतिपय सुझाव प्रस्तुत करना आवश्यक समझता है। स्पष्टतः धरातल स्तर पर सार्वजनिक कोषों के उपयोग में वित्तीय सावधानी एवं अनुशासन पर उनके दीर्घकालीन विपरीत निहितार्थों को देखते हुये, पंचायत कर्मियों के वृहत्तर विषय पर आयोग को ध्यान देना ही होगा।

(viii) राज्य की 9820 **xte ipk; rka** में 80% की जनसंख्या 2000 से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य की कुल ग्राम पंचायतों में 76% की जनसंख्या 1001 से 2000 के बीच है। यह मानते हुये, कि

**xte ipk; r** सचिव के कैडर का एक नियमित शासकीय कर्मचारी दो या तीन पास-पास स्थित **xte ipk; rks** जिनकी औसत जनसंख्या लगभग 3000 है, की प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ऐसे 'समूह **xte ipk; r** सचिव' के 5570 पद होंगे। वर्तमान में राज्य में **xte ipk; rks** के सचिव के रूप में लगभग 2270 नियमित शासकीय कर्मचारी कार्यरत हैं। इस प्रकार हमारे पास नियमित शासकीय पंचायत सचिव के कैडर में 3300 की कमी होगी। अतएव सरकार का कार्य इस कमी को पूरी करने का तरीका खोजना होगा।

## 2. ग्राम पंचायत लिपिक/सहायक :

आयोग का विचारपूर्ण मत है, कि वर्तमान पंचायत कर्मियों की सेवायें समाप्त करने के स्थान पर 3300 **xte ipk; r l fpo** की कमी की पूर्ति राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से पंचायत राज संबंधी मामलों, विशेषतया पंचायत प्रशासन संबंधी विषयों में एक प्रतियोगी परीक्षा लेकर की जाय, चूँकि संभव है पंचायतकर्मि भी अपनी बढ़ती संख्या के साथ-साथ अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दबाव बनायें। अन्य शब्दों में राज्य सरकार अधिसूचित करें कि **xte ipk; r l fpo** का कैडर अब मरणशील नहीं है, उसे पुनर्जीवित कर सक्रिय कैडर बनाया गया है। सरकार के लिये यह भी आवश्यक है, कि इन पदों में से 50% पद वर्तमान पंचायत कर्मियों के लिये सुरक्षित रखे जाये। यदि वर्तमान पंचायत कर्मियों के 50% भी कार्य के लिये उपयुक्त पाये जाने पर नियमित **xte ipk; r** सचिव के पद पर नियुक्ति की संभावना रखते हैं, तो शेष 6100 पंचायत कर्मियों को **xte ipk; r** सचिव की सहायता हेतु निश्चित रु. 2000 की मासिक फीस पर **ipk; r l gk; d** के रूप में जारी रखा जा सकता है। तथापि भविष्य में लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले पद रिक्त होने की स्थिति में इन्हें नियमित पंचायत सचिव चुने जाने का अवसर उपलब्ध रहेगा। यदि आवश्यक समझा जाय, तो राज्य सरकार इनकी

शैक्षणिक योग्यता (स्नातक डिग्री) एवं 35 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दे सकती है।

पंचायत सचिवों के 3300 पदों के वेतन एवं भत्तों के लिये प्रारंभिक अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, 2005-06 में अनुमानित रू 40 करोड़ होगी (यह मानते हुये कि 2005-06 में एक पंचायत सचिव का वेतन एवं भत्ते रू. 10,000 होंगे)। वर्ष 2006-07 एवं आगे इस राशि में 10% वार्षिक की वृद्धि आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक **xte ipk; r** में उसके सचिव की सहायता के लिये एक लिपिक/सहायक की आवश्यकता होगी। तथापि इस पद के लिये किसी नियमित शासकीय कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। जहाँ 6100 असमायोजित पंचायतकर्मी, अपनी-अपनी **xte ipk; rka** में पंचायत लिपिक/सहायक के रूप में कार्य करते रहेंगे, वहीं इन लिपिकों/सहायकों जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 हो, के अतिरिक्त 3720 पदों के लिये चुनाव हेतु एक ब्लाक स्तरीय चुनाव समिति का गठन किया जा सकता है। पंचायत लिपिक/सहायक का पद 2 वर्ष के लिये संविदा पर होगा, जिसे आवश्यकतानुसार और 2 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। पंचायत कर्मियों की भाँति इन नव नियुक्त व्यक्तियों में प्रत्येक को समेकित रू. 2000 वेतन दिया जा सकेगा। इस मद के लिये राज्य सरकार को 2005-06 में अतिरिक्त रू. 9 करोड़ वार्षिक की आवश्यकता होगी। इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि करनी होगी। अतिरिक्त पंचायत सचिवों की भर्ती एवं पंचायत लिपिकों/सहायकों की फीस के लिये 2005-06 में, शुद्ध अतिरिक्त आवश्यकता रू. 64 करोड़ होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

Ø-	en	vuøkfur ykxr % 2005&06 ½yk[k : -½
1	पंचायत सचिव के 3300 पदों के लिये वेतन एवं भत्ते रू. 10000 प्रति माह की दर पर	3960



2	9820 पंचायत लिपिकों की समेकित मासिक फीस/वेतन 2000 प्रति माह की दर पर	2357
3	6100 पंचायत कर्मियों को बढ़ी हुई मासिक फीस/वेतन रु. 500 प्रति माह की दर पर	366
4	घटायें— नियमित पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त पंचायत कर्मियों का रु. 1500 प्रति माह वेतन जो 1650 कर्मियों को दिया जा रहा है।	-297
<b>; kx</b>		<b>: - 6386 yk[k</b>

3. **पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों/कार्यकर्ताओं को मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के लिये अनुदान :**

हमें ज्ञात हुआ है, कि वर्ष 2001-02 से 2005-06 की पांच वर्ष की अवधि में राज्य सरकार ने पंचायतों को उनके निर्वाचित कार्यकर्ताओं के मानदेय फीस, यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के लिये औसतन प्रत्येक वर्ष रु. 3.39 करोड़ स्वीकृत किये। वास्तव में स्फीतिकारी मूल्य वृद्धि एवं निर्वाचित पंचायत नेतृत्व को अधिक युक्तिसंगत मानदेय देने की आवश्यकता को देखते हुये **vk; kx dh vuqkd k g\$ fd iR; d Lrj dh ipk; rka ds v/; {kka , oa mi k/; {kka ds ekun\$ dh orëku njka ea muds dk; ðky ea iR; d o"z 10% dh of) dh tk; A** इसके अतिरिक्त राज्य सरकार इस अनुदान के जिलेवार आबंटन में भी 10% प्रतिवर्ष वृद्धि करे। प्रारंभ में वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये आयोग अनुशंसा करता है, कि राज्य के निर्वाचित प्रमुखों को मानदेय सदस्यता भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की कुल लागत की पूर्ति हेतु जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालिक अधिकारियों को रु. 7 करोड़ का अनुदान जारी करें तथा इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि करें।

ब. **प्रतिबद्ध व्यय जारी रखा जाय :**

*vk; kx vuqk k djrk g\$ fd ipk; rk l s l af/kr jkT;  
l jdkj dk l iwkl ifrc) 0; ; i wbr tkjh j [kk tk; A*

स. पंचायतों को अभिकर्ता अनुदान :

आयोग का मत है, कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुये पंचायतों को सरकार के संबंधित विभागों की योजनाओं, जिनमें विशिष्ट केन्द्र प्रवर्तित योजनायें भी शामिल होंगी, की *vuqfur ykxr dk U; wre 3% izkkl dh; 0; ; ds : i ea vflkdrkz vupku dh ik=rk gkuh pkfg; A* पंचायतों को अपनी योजनायें क्रियान्वयन हेतु सौंपने से पूर्व संबंधित विभाग योजनाओं की अनुमानित लागत का 3% उसमें जोड़कर राशियाँ पंचायतों को हस्तांतरित करें।

द. ग्राम पंचायतों को मूलभूत सेवा अनुदान एवं जनपद तथा जिला पंचायतों को सामान्य उद्देशीय अनुदान :

(1) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, कि सामान्यतया ग्रामीण जनसंख्या को कतिपय आधारभूत एवं अत्यावश्यक सेवाओं का प्रदाय, राज्य एवं स्थानीय शासन इकाइयों का प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाता है। ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता काफी कुछ उन्हें उपलब्ध कराई गयी, आधारभूत सेवाओं के स्तर से प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के द्वारा सुरक्षित पेयजल, मार्गों एवं अन्य स्थानों पर प्रकाश, स्वच्छता एवं निकासी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा सभी मौसमों के लिये उपयुक्त सड़कों से जुड़ाव जैसी आधारभूत नागरिक सेवाओं के प्रदाय को *'ifke Øe^* की नागरिक सेवायें माना जाता है और इनके प्रदाय की उनसे अपेक्षा की जाती है। *'f}rh; Øe^* की सेवाओं में शामिल है, ग्रामीण गरीबों को खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, अन्य ग्राम एवं बाजारों तक पहुँच, पशु चिकित्सा सहायता, अशक्तों एवं निराश्रितों का कल्याण, आवास विहीन गरीबों के लिये आवास, सिंचाई सुविधा, इत्यादि। जहाँ तक भारतीय ग्रामीण शासन इकाइयों

का प्रश्न है, वे अपने संकुचित साधन आधार के कारण स्थानीय लोगों से संग्रहित अपने स्वयं के साधनों से प्रथम क्रम की सेवायें भी उन्हें उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। स्पष्टतः देश के समस्त ग्रामों में सभी मूलभूत सेवाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये अत्यधिक मात्रा में साधनों की आवश्यकता को देखते हुये, दीर्घ समय तक शासन के उच्च स्तरों के द्वारा बड़ी मात्रा में विनियोग आवश्यक होगा। पिछले पचास वर्षों में संघ एवं राज्य सरकारें भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को न्यूनतम मूलभूत सेवाओं के प्रदाय की दृष्टि से लाखों करोड़ रूपयों का विनियोग करती रही हैं। उनके गम्भीर प्रयासों के बावजूद ग्रामीण भारत में अभी भी ऐसे अनेक धुंधले क्षेत्र हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में पूँजीगत तथा संचालन एवं संधारण व्ययों की आवश्यकता है।

- (2) पंचायतों की संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से सभी ग्रामों को कतिपय सेवाओं के न्यूनतम स्तर का प्रदाय किया जाना आवश्यक है, परन्तु उचित एवं नियमित रख-रखाव के अभाव में अनेक वर्तमान सार्वजनिक आस्तियाँ नष्ट हो रही हैं। जहाँ ग्रामीण जनता को 'i fle Øe^' की मूलभूत सेवाओं के प्रदाय की ही पूँजीगत लागत की पूर्ति शासन के उच्च स्तरों द्वारा दिया जाना आवश्यक हो, वहाँ जनता के सर्वाधिक नजदीक वाली स्थानीय शासन इकाइयों को अपनी वर्तमान आस्तियों का नियमित संधारण आवश्यक होना चाहिये। तथापि इसका यह निहितार्थ नहीं होना चाहिये, कि इन इकाइयों को मूलभूत सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व न दिया जाय। उन्हें इस प्रकार के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, बशर्ते कि ये योजनायें इन इकाइयों की तकनीकी एवं प्रशासकीय क्षमता के अंतर्गत हों। ऐसे सभी मामलों में यह आवश्यक होगा, कि शासन की इन निम्न-स्तरीय स्थानीय इकाइयों को शासन के उच्च स्तरों से पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जायें।

(3) छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी जनसंख्या बहुल राज्य में जहाँ ये लोग बिखरी हुई बसाहटों में निवास करते हैं, वह साधन-आधार जिसका पंचायतें मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था एवं संधारण की लागतों के लिये दोहन कर सकती हैं, अत्यन्त संकीर्ण है। ग्रामों में इन सेवाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी कम है। आयोग को गम्भीर प्रयासों के बावजूद राज्य की पंचायतों से उनके सुरक्षित पेयजल, पर्यावरणीय साफ-सफाई एवं निकास, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें, सड़कों से जुड़ाव एवं व्यवस्था तथा संधारण के लिये उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की विश्वसनीय एवं पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। हमारा अनुमान है, कि वास्तव में यह मौलिक जानकारी, जिसे प्रतिवर्ष अद्यतन किया गया हो, अधिकांश राज्यों में जिला स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है, राज्य स्तर पर उपलब्धता की तो बात करना ही व्यर्थ है। इस कमी की ओर अनेक राज्यों के राज्य वित्त आयोगों तथा XIवें एवं XIIवें केन्द्रीय वित्त आयोगों ने ध्यान आकर्षित किया है।

(4) तथापि, हमारी 2728 निर्दिष्ट *xte ipk; rka* के द्वारा आयोग को जो जानकारी उपलब्ध कराई गई, भले ही वह अपर्याप्त एवं पूर्णतः विश्वसनीय न हो, उसके आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत हैं :-

Ø-	enylkur l ok	mi yfC/k	
		U; kn' khZ xk-i a dh l d; k	dy U; k-xk-i a ea %
i	पेयजल योजना	1707	62.57
ii	निकासी प्रणाली	522	19.13
iii	सड़कों की सफाई	1150	42.16
iv	सड़कों का प्रकाश	1748	64.08
v	सार्वजनिक शौचालय	339	12.43

vi	स्वयं के भवन सहित प्राथमिक शालायें	3753*	61.29
----	--	-------	-------

टीप :- \* न्यादर्शी 2728 **xte ipk; rka** में कुल प्राथमिक शालाओं की संख्या है 6123।

इसके अतिरिक्त हमारे इस निवेदन पर कि वे विविध आधारभूत सेवाओं के लिये अपनी अतिरिक्त पूँजीगत तथा व्यवस्था एवं संधारण के लिये आवश्यकतायें मौद्रिक रूप में बतायें, **U; kn'khz xte ipk; rka** ने निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायी :-

Ø-	I ok	U; k-xk ipk; rka }jk vko' ; d crkbz jkf'k ½djkm+ # ½		
		i thxr	oržku I okvka dk I alkj .k	enyHkur I okvka dk I alkj .k
i	प्रकाश	116.19		
ii	साफ सफाई एवं निकासी	209.48	88.97	407.33
iii	सड़कें	81.92		
	; kx	407.59	88.97	407.33

तथापि, आयोग का मत है, कि न्या.ग्रा.पंचायतों द्वारा भरी हुई प्रश्नावलियों में से निकाली गई जानकारी से उसकी अपर्याप्तता एवं अविश्वसनीयता के कारण किसी अर्थवान उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इससे मूलभूत सेवाओं संबंधी उनकी व्यवस्था एवं संधारण व्ययों की **xte ipk; rka** की आवश्यकताओं के आकलन का कार्य कठिन हो गया। जानकारी की यह कमी सरकार के संबंधित विभाग के अपर्याप्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रयासों की दुःखद स्थिति की द्योतक है। हम अनुभव करते हैं, कि इस स्थिति पर अधिक समय तक ध्यान न देना ठीक नहीं होगा। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत नागरिक सेवाओं की वर्तमान स्थिति तथा घाटे की पूर्ति हेतु पूँजीगत एवं व्यवस्था तथा संधारण के लिये आवश्यक वित्त संबंधी जानकारी को नियमित रूप से एकत्रित, संपादित एवं अनुश्रवित नहीं किया

जाता, तब तक पंचायतों की उनकी वर्तमान एवं नई आस्तियों के व्यवस्थापन एवं संधारण व्ययों का समेकित वित्तीय आंकलन अत्यन्त कठिन होगा।

- (5) अतएव आयोग की अनुशंसा है, कि राज्य सरकार एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें, जिसमें विषय विशेषज्ञ तथा संबंधित सरकारी विभागों के प्रमुख हों तथा जो पंचायतों द्वारा राज्य की ग्रामीण जनसंख्या को प्रदाय की जाने वाली प्रत्येक आधारभूत सेवा की भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं का आदर्शात्मक आधार पर आंकलन करे। समिति के लिये आवश्यक होगा, कि वह आदर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुये विशिष्ट एवं मूलभूत सेवाओं की पूँजीगत तथा व्यवस्थापन एवं संधारण की भौतिक एवं मौद्रिक आवश्यकताओं को पृथक-पृथक आंकलन करे तथा निश्चित समय सीमा बताये, जिसमें आंकलित शुद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी हो। समिति को अपना प्रतिवेदन एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत करने के लिये कहा जाय, क्योंकि संभावना है कि **XIII for vk; ks** को मूलभूत नागरिक सेवाओं के संधारण व्यय के संदर्भ में पंचायतों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये इस महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होगी।
- (6) वर्तमान स्थिति की वास्तविकता तथा पंचायतों को उनसे अपेक्षित मूलभूत नागरिक सेवाओं के प्रदाय हेतु वित्तीय सहायता की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुये, आयोग का विचार है, कि राज्य सरकार पंचायतों को निर्धारित मूलभूत सेवाओं के प्रदाय एवं संधारण के लिये तदर्थ आधार पर अनुदान दे। इस संबंध में हम याद दिलाना चाहेंगे, कि हमने **xte ipk; rks** के व्यवस्थापन एवं संधारण व्यय के लिये राज्य द्वारा प्राप्त **XIII for vk; ks** अनुदान में से भी उन्हें कुछ सहायता की अनुशंसा की है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि विभिन्न स्तरों की पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान का सोद्देश्य एवं उचित उपयोग हो, यह आवश्यक है, कि जिला स्तर पर विभिन्न पंचायतों में मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता में कमी का मूल्यांकन करने तथा उनमें विभिन्न सेवाओं के लिये आवश्यकताओं का आंकलन करने हेतु कुछ व्यवस्था निर्मित हो, उदाहरण के तौर पर एक जिले को जिसमें उसके ग्रामीण क्षेत्र में, तुलनात्मक रूप से सुरक्षित पेयजल सुविधा कम है, उसे इस सेवा पर अधिक व्यय

करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। इसी प्रकार एक अन्य जिला जिसके ग्रामीण क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से साफ-सफाई एवं निकासी सुविधाओं का फैलाव कम है, उसे इस कमी को न्यूनतम करने के लिये इसके लिये अधिक राशि निर्धारित करने की छूट होनी चाहिये। मूलभूत सेवाओं हेतु निर्धारित समग्र अनुदान को प्रति व्यक्ति आधार पर सरल एवं एक मुश्त आधार पर सभी **xte ipk; rka** को हस्तांतरण करने से विभिन्न स्थानों के सेवा स्तर के समानीकरण के सिद्धांत की पूर्ति नहीं होगी।

(7) **bl iLrf r ds iZk'k ea vk; ks fuEufyf[kr vuqka k; a djrk gS%**

(i) **xte ipk; rka** को मूलभूत सेवाओं के लिये रू. 90 **ifr 0; fDr** तथा **tuin** एवं **ftyk ipk; rka** को सामान्य उद्देशीय अनुदान क्रमशः रू. 8 एवं रू. 2 प्रति व्यक्ति के आधार पर अनुदान दिये जाये। निरपेक्ष रूप से यह राशि **xte ipk; rka** के लिये रू. 149.83 करोड़, **tuin ipk; rka** के लिये रू. 13.32 करोड़ तथा **ftyk ipk; rka** के लिये रू. 3.33 करोड़ होती है, अन्य शब्दों में हमारी अनुशंसा है, कि राज्य की तीनों स्तरों की पंचायतों को रूपये 100 प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाय।

(ii) परिणामस्वरूप आंकलित कुल राशि रू. 166.48 करोड़ को जिलों में निम्नलिखित आधार पर वितरित किया जाये। इसी आधार पर हमने **XII0a forR vk; ks** के अनुदान के **vr%ftyk vkca/u ds fy; s** अनुशंसा की है। **[nS[k a i fjPNn 3-2-4 10% WII]**

- 1) 60% ग्रामीण जनसंख्या
- 2) 20% ग्रामीण क्षेत्रफल
- 3) 10% अनु.जाति / जनजाति जनसंख्या
- 4) 10% ग्राम पंचायतों का प्रति व्यक्ति आंतरिक राजस्व संग्रहण।

(iii) **I kj.kh 0- 3-15** में हमारे द्वारा अनुशंसित अनुदान का जिलेवार प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है। हमारी अनुशंसा है, कि रा. **forR vk; ks** अंतरण,

XIIवें वित्त आयोग अनुदान तथा हमारे सुझाये अनुदान, तीनों के लिये जिला आबंटन हेतु चुने गये सूचकांकों का भार समान हो।

- (iv) प्रत्येक जिले को आबंटित उसके अंशभाग को **xke ipk; r] tuin ipk; r** तथा **ftyk ipk; rka** में क्रमशः 90:8:2 के अनुपात में वितरित किया जाय।
- (v) व्यक्तिगत **xke ipk; rka tuin ipk; rka** एवं **ftyk ipk; rka** को उनका हिस्सा **xke ipk; rka** को रु. 90 प्रति व्यक्ति, **tuin ipk; rka** को रु. 8 प्रति व्यक्ति तथा **ftyk ipk; rka** को रु. 2 प्रति व्यक्ति की दर से आबंटित किया जाय।
- (vi) व्यक्तिगत **tuin** एवं **ftyk ipk; rka** के अंशभाग को संबंधित को सामान्य उद्देशीय/अप्रतिबद्ध एक मुश्त अनुदान के रूप में दिया जाय। ये पंचायतें इस अनुदान का उपयोग अपने कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा समाप्ति लाभ तथा अपने कार्यालयों एवं आस्तियों के संधारण और प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु करेंगी।
- (vii) जहाँ तक कुल जिले के आबंटन में **xke ipk; rka** के अंशभाग का प्रश्न है, संपूर्ण अनुदान, पूँजीगत एवं व्यवस्थापन तथा संधारण लेखों के अंतर्गत केवल मूलभूत नागरिक सेवाओं के लिये चिन्हित होना चाहिये। **ftyk ipk; r** के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी (सी.ई.ओ.) **xke ipk; rka** के अनुदान के विभाजनीय कोष के 75% भाग को व्यक्तिगत पंचायतों में उनकी जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं अनु.जाति/जनजाति की सम्मिलित संख्या के आधार पर क्रमशः 50:20:5 के अनुपात में वितरित करें। **ftyk enyHkr vko'; drk l fefr]** जिसके संबंध में हमने **XIIoa folr vk; lxx** अनुदान के वितरण हेतु सुझाव दिया है, ऐसी दो या तीन विशिष्ट मूलभूत सेवाओं की पहचान करें, जिन्हें जिला आबंटन में पंचायतों के हिस्से का शेष (25%)



प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना आवश्यक हो। जिन पंचायतों को ये 'प्राथमिकता' वाली सेवायें प्राप्त न हो सकें, उन्हें समिति द्वारा ऐसी सेवाओं के लिये उनकी संबंधित राजस्व आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट अनुदान स्वीकृत किये जा सकते हैं।

**(ई) हमारे द्वारा सुझाये गये रा.वित्त आयोग अंतरण का समग्र पैकेज :**

- (1) सौंपे गये राजस्व प्रतिबद्ध व्यय के लिये सरकार से अनुदान, संबंधित विभागों के अनुदान, केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनागत अनुदान एवं के.फोर.व.के.के.के. अनुदान को छोड़कर वर्ष 2005-06 से पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू हमारी अनुशंसाओं पर आधारित हमारे अंतरण पैकेज की अंतिम तस्वीर **1 kj.kh Ø- 3-15** में चित्रित है।
- (2) आयोग वर्ष 2005-06 के लिये रू. 238.29 करोड़ के कुल सहायता अनुदानों के अंतरण की अनुशंसा करता है। राज्य का कुल स्वयं का शुद्ध कर राजस्व, वर्ष 2004-05 (लेखे) में, रू. 2905.08 करोड़ तथा 2005-06 **1jkfo-vk ioklupku** रू. 3595.31 करोड़ था। राज्य के 2004-05 (लेखे) के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के अनुपात के रूप में, हमारे द्वारा पंचायतों के लिये सुझाया गया रू. 238.29 करोड़ का अंतरण उसका 8.20% होता है। यदि हम इस प्रतिशत को राज्य के वर्ष 2005-06 **1jkfo-vk ioklupku** के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के अनुपात के रूप में प्रगणित करते हैं, तो यह 6.628% होता है। **gekjs fopkj ea 6.628% dh ; g l f; k okLrfodrk ds vf/kd utnhd gñ vr, o gekjh vuqk k g\$ fd jkT; I jdkj vius Lo; a ds 2005&06 ds 'kq dj jktLo dks ifro"z i pk; rka dks gLrkrfjr djus ds fy; s fplgr djñ** वर्ष 2005-06 के वास्तविक आँकड़े उपलब्ध होने के बाद **1jkfo-vk dk i pk; rka dks vrj.k** के लिये चिन्हित की जाने वाली राजस्व की निरपेक्ष मात्रा का आवश्यक

समायोजन किया जा सकता है। वास्तव में, हमारा विचार है कि, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था विकास पथ पर है, अतः पंचायतों के लिये सुझाये गये **jkt; ds 'kq Lo;a ds dj jktLo ea 6-628% dh fgll nkjh** निरपेक्ष रूप में, वर्ष 2005-06 के रु. 238.29 करोड़ की तुलना में, **jkfo-vk** की अनुशंसायें लागू रहने की अवधि के अगले वर्षों में क्रमशः बढ़ती जायगी। अगले कुछ वर्षों में, वर्ष 2005-06 **jkfo- vk- iokupku** के **jkt; ds Lo;a ds 'kq dj jktLo ds 6-628%** के आधार पर प्रगणित, **jkfo-vk- varj.k** में होने वाली निरपेक्ष वृद्धि की राशि को भी जिलों को उसी प्रकार आबंटित किया जाय जिस प्रकार हमने 2005-06 के अंतर्जिला आबंटन के लिये सुझाव दिया था।

### 3.2.4 केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान :

73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) में एक नया उपखण्ड जोड़ा गया। तदनुसार अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग से “राज्य के वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य की पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि करने के उपाय” संबंधी अनुशंसायें राष्ट्रपति को करने के लिये कहा गया है।

- (1) **Xoa forr vk; lx** ने राज्यों की पंचायतों के लिये 1996-97 से 1999-2000 तक की चार वर्ष की अवधि के लिये रु. **4380-93 djkm** के तदर्थ अनुदान को समान वार्षिक किशतों में जारी करने की अनुशंसा की थी, परन्तु पंचायत वित्त संबंधी आकड़ों के अभाव में आयोग ने पंचायतों के लिये अनुदान की गणना 1971 की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर रु. 100 प्रति व्यक्ति की। आयोग ने यह मत भी प्रगट किया, कि पंचायतों को अतिरिक्त साधन जुटाकर अपना मैचिंग योगदान देना चाहिये। राज्यों को कहा गया था, कि वे इन अनुदानों के उपयोग के लिये विस्तृत मार्गदर्शिकाओं के साथ योजनायें बनायें, परन्तु इन योजनाओं का संबंध पंचायतों के प्राथमिक

क्रियाकलापों से हो। *bl ds vfrfjDr bl vuqku dk fofHkuu Lrjka dh ipk; rka ea vkca/u dk ekeyk jkT; ka ds foosd ij ; g dg dj NkMdej fn; k x; k Fkkj fd cgrj gkq ; fn os jk-foRr vk; ksx dh vuqka kvka ds vk/kkj ij , d k dj*

- (2) दूसरी ओर, *XIOa foRr vk; ksx* ने देश की पंचायतों के लिये 2000-01 से 2004-05 तक की पाँच वर्ष की अवधि के लिये रु. *8000 djkm+* के तदर्थ अनुदान की अनुशंसा की थी। इस राशि में से आयोग ने रु. 493 करोड़ ग्राम एवं मध्यवर्ती पंचायतों के *^y[ka ds j[k&j[kko^* के लिये तथा रु. 197 करोड़ *^ipk; r foRr l xalk lead vk/kkj LFkfi r dju^* के लिये निर्धारित किये थे। ये निर्धारित राशियाँ पंचायतों के लिये अनुशंसित कुल अनुदान का 8.63% थीं। आयोग ने शेष 91.37% अनुदान का उपयोग नागरिक सेवा प्रदाय प्रभारी पंचायतों के द्वारा *^ukxfjd l okvka ds l dkj.k^* में लाने की अनुशंसा की थी। निर्धारित राशियों के अतिरिक्त सभी अनुदान *^vifrc)^* प्रकृति का है तथा *jkT; ka }kjk bl dk forj.k l xf/kr jk-foRr vk; ksx dh vuqka kvka ds vuq kj fd; k tkuk g* यह सुनिश्चित करने के लिये, कि राज्य अपनी पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को पूरक साधन उपलब्ध कराने के लिये अपने संचित कोषों में वृद्धि करें, अन्य बातों के साथ आयोग ने भू-आधारित करों/प्रशुल्कों पर उपकर की अनुशंसा की थी, जैसे राज्य के महत्वपूर्ण करों पर 10% उपकर/अधिभार। इसके अतिरिक्त आयोग ने, संसद द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई ऊपरी सीमा के साथ व्यवसाय कर अधिरोपित करने तथा संपत्ति/मकान कर, चुंगी एवं उपभोक्ता मूल्य संबंधी स्थानीय करों/दरों में सुधार की अनुशंसा की थी। इस *XIOa* वित्त आयोग अनुदान के उपयोग संबंधी, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका में प्रावधान किया गया, कि अनुदान उन मध्यवर्ती एवं *ftyk ipk; rka* को न दिया जाय, जिनका नागरिक सेवाओं के संधारण का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। यह भी कि इस उद्देश्य के लिये दिया गया

अनुदान **^vifrc)^** होगा, अपवाद केवल यह होगा, कि उसका उपयोग वेतन एवं मजदूरी भुगतान के लिये नहीं किया जायगा। मार्गदर्शिका में आगे यह भी प्रावधान था, कि पंचायतों को अनुदान के न्यूनतम 25% मैचिंग संसाधन जुटाने होंगे तथा यदि कोई पंचायत इस मैचिंग आवश्यकता की पूर्ति के लिये अयोग्य पायी जाती है, तो राज्य सरकार मैचिंग योगदान दे सकती है।

- (3) **XIIoa foRr vk; ksx** जिसने भारत के राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसाये 2004 में प्रस्तुत की, ने 2005-10 की अवधि के लिये, पंचायतों को **: - 20000 djkm+** अनुदान की अनुशंसा की थी। जहाँ तक अनुदान के उपयोग का संबंध है, आयोग का मत था, कि **ipk; rka dks vuqku dk mi ; ksx mudh ty vki firz , oa l kQ&l Qkbz l cdh l ok ink; ea l qkj ds fy; s gskuk pkfg; A** आयोग का सुझाव था, कि प्राथमिकता जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के व्यवस्थापन एवं संधारण पर व्यय को दी जाय, जिससे वे योजनाओं को अपने हाथ में ले सके एवं क्रियान्वित कर सकें। तथापि पिछले दो आयोगों की भांति इस आयोग ने पंचायतों द्वारा किसी मैचिंग योगदान की शर्त नहीं रखी। आयोग द्वारा की गई अन्य अनुशंसाओं में प्रमुख है, (अ) रा.वि.आयोगों में ख्याति प्राप्त एवं सुयोग्य व्यक्ति हों, जिनके संबंधित क्षेत्रों की अर्हताये एवं अनुभव हों, (ब) वित्त आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं को बिना परिवर्तन स्वीकार किये जाने की राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित परम्परा राज्य स्तर पर भी रा.**foRr vk; ksx** प्रतिवेदनों के संबंध में अपनायी जाय, (स) जैसाकि अधिकांश राज्यों के पास उनके स्थानीय निकायों के वित्त संबंधी विश्वसनीय जानकारी नहीं है, अतः स्थानीय निकायों को समंक आधार तैयार करने एवं लेखों के रख-रखाव के लिये सहायता राशियों की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य इस संबंध में स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें तथा तदनुसार आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान में से राशि निर्धारित करें, (द) प्रतिवेदन के परिच्छेद 8.19 में दी गई

“*okre ifo; kvk*” को राज्यों द्वारा पंचायतों के संसाधनों में सुधार हेतु अपनाये जाने पर विचार करना चाहिये, (इ) *jkT; ka dks jk-foRr vk; ksx dk xBu fd'rk ea dju\$ ckj&ckj mudk iuxBu rFk ifronu dh njh l s iLrqr , oafokkf; dk ea dr dk; bkgh ifronu j[ks tkus ea njh l s cpuk pkfg; A vPNk gks ; fn jk-foRr vk; ksx dk xBu] ifronu iLrqr djus dh okfNr frfFk l s U; wre nks o"Kz iWZ fd;k tk; rFk iLrqr frfFk bl izdkj r; dh tk;] fd jkT; l jdkjka dks , -Vhvkj iLrqr djus ds iWZ de l s de rhu ekg dk l e; fey tk; vkj ; g iLrqr vxys foRr o"Kz ds ctV ds l kFk gks l ds तथा (फ) *jkT; l jdkjka ds foRr foHkx ea , d LFk; h jk-foRr vk; ksx izdkSB LFkfi r fd;k tk;] D; kd l eadka dk , d=hdj.k , oa l iknu fujarj djuk gksk rFk tc&tc jk-foRr vk; ksx dk xBu gk\$ ml s vko'; d l ead miyC/k djkus gksA**

- (4) जहाँ तक छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में *XIOa foRr vk; ksx* प्रतिवेदन के अंतर्गत केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने अनुदान के उपयोग संबंधी मार्गदर्शिका में नये राज्य के लिये अविभाजित मप्र. के सम्मिलित अंशभाग  $\frac{1}{4}$  - *143-09 djkm* में से रु. 42 करोड़ वार्षिक (अथवा 2.37%) का आबंटन, 2000-05 के लिये किया था। इसमें से रु. 3.7083 करोड़ का वार्षिक अनुदान ग्राम एवं *tuin ipk; rka* के लेखों के रख-रखाव के लिये तथा रु. 7.4060 करोड़ पंचायत वित्त संबंधी समंक आधार के निर्माण के लिये पूरे पांच वर्ष की अवधि के लिये था। *XIOa foRr vk; ksx* ने राज्य की पंचायतों के लिये 2005-10 की संपूर्ण पाँच वर्ष की अवधि के लिये कुल : - *615 djkm* अथवा : - *123 djkm+ ifr o"Kz* के अनुदान की अनुशंसा की थी। इस प्रकार इस आयोग ने राज्य की पंचायतों के लिये *XIOa foRr vk; ksx* के रु. 42 करोड़ के वार्षिक अनुदान को बढ़ाकर रुपये 123 करोड़ कर दिया।

(5) जहाँ तक **XIOa , oa XIIOa vk; kska** के राज्य को अनुदान के आबंटन एवं वितरण का संबंध है, वित्त विभाग ने 2001-02 से 2005-06 की अवधि के लिये जानकारी उपलब्ध करायी थी, जिसे **I kj.kh Ø- 3-16** में देखा जा सकता है। हमें प्रदत्त एवं सारणी में प्रस्तुत समकों की समीक्षा दर्शाती है, कि :

(i) भारत सरकार ने रू. 210 करोड़ की उस संपूर्ण राशि को जारी कर दिया था, जो **XIOa vk; ks** ने राज्य को आबंटित की थी।

(ii) वित्त विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका की अपेक्षाओं का आदर करते हुये, राज्य सरकार ने अपने कोष से **XIOa vk; ks** के अनुदान के 33.33% के पंचायतों के मैचिंग अंशभाग की प्रतिपूर्ति भी की।

(iii) संपूर्ण अनुदान जिसमें केन्द्र एवं राज्य आबंटन शामिल हैं, को **ftyk ipk; rka** के मुख्य कार्यपालिक अधिकारियों को राज्य की **xte ipk; rka** में वितरण हेतु हस्तांतरित किया गया।

(6) इस संबंध में हम यह कहने के लिये बाध्य हैं, कि **xte ipk; rka** एवं **tuin ipk; rka** की वर्तमान लेखा प्रक्रियायें/प्रणालियाँ (**tuin ipk; rka** के सी.ई.ओ. द्वारा प्राप्त ऐसी राशियों को छोड़कर, जो उन्हें गैर-**tuin ipk; r** कार्यो/योजनाओं के लिये प्राप्त हुई हों) इन पंचायतों द्वारा अपनायी गई अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण लेखा प्रक्रियाओं के कारण अस्त व्यस्त हैं। हमने एक अन्य खण्ड में ग्राम एवं **tuin ipk; rka** के स्तर के लेखे एवं अंकेक्षण प्रणालियों पर चर्चा की है। फिर भी यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा, कि **XIOafoRr vk; ks** द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिये दी गई वित्तीय सहायता का उसके विशिष्ट निर्धारित उद्देश्यों के लिये उपयोग किया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

- (7) पिछले कुछ वर्षों में राज्य की विभिन्न स्तरों की पंचायतों के वित्त संबंधी उपलब्ध समंक आधार अभी भी किसी अर्थपूर्ण विश्लेषण के मार्ग की बाधा बने हुये हैं। वास्तव में जिम्मेवार सरकारी अधिकारियों एवं पंचायतों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित हमारे आंकड़े अनेक अर्थों में जैसे प्रत्येक स्तर की पंचायतों के व्ययों के क्षेत्र-वार विभाजन का अभाव, गलत वर्गीकरण, पंचायतों द्वारा हमें प्रदत्त आंकड़ों की अविश्वसनीयता, अपर्याप्ता एवं दोषपूर्ण इत्यादि हैं। हम यह भी उल्लेख करना चाहते थे, कि के.foRr vk; ksx राशियों का उपयोग पंचायतों द्वारा किस प्रकार किया गया अथवा उनका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिये उचित तरीके से एवं सावधानीपूर्वक किया गया या नहीं, परन्तु इन सभी से संबंधित जानकारी की कमी प्रतीत होती है।
- (8) इस संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक है, कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि छत्तीसगढ़ राज्य की पंचायतों की राजकोषीय व्यवस्था अन्य राज्यों के लिये 'आदर्श' (रोल मॉडल) बन सके। हमारी टिप्पणियों का उद्देश्य सरकार अथवा पंचायतों को नीचा दिखाना अथवा जानबूझकर उनके दोष ढूँढ़ना नहीं है। इस दृष्टि से हम आशा करते हैं, कि पंचायतों के दीर्घकालीन हित में राज्य सरकार उनकी व्यवस्था में सुधार के लिये तत्काल प्रयास करेगी।
- (9) हमारे विचार में X10a , oa X110a foRr vk; kska द्वारा पंचायतों के लिये अनुशंसित उनके अनुदानों के उपयोग में मूलभूत सेवाओं के संचालन एवं संधारण पर दिये गये अधिक बल की पृष्ठभूमि में उन मूलभूत सेवाओं की पहचान करना अत्यन्त आवश्यक है, जिनके संचालन एवं संधारण व्ययों के लिये विभिन्न स्तरों की पंचायतों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। जहाँ तक xte i pk; rka का संबंध है, हमारे मत में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश, निकासी एवं स्वच्छता, आंतरिक सड़कें एवं पुलियां, दाह संस्कार स्थल एवं कब्रिस्तान तथा

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सेवाओं का संचालन एवं संधारण **xte ipk; rka** का प्राथमिक उत्तरदायित्व होना चाहिये। इसी प्रकार **tuin ipk; rka** को **xte ipk; rka** में अंतः ग्राम पुलिया एवं सड़के तथा ग्राम से पंचायत के हैडक्वार्टर ग्राम तक पक्के अथवा राज मार्गों को जोड़ने वाली सड़कों का संधारण, स्कूलों के संधारण सहित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन, संरक्षित जल प्रदाय योजनायें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय एवं उनके औषधालय इत्यादि का संधारण करना होता है। दूसरी ओर **ftyk ipk; ra** अन्य जिला सड़कों जैसे अंतः ब्लाक पुलिया एवं सड़कों का संधारण, माध्यमिक स्कूलों के संधारण सहित माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन, एक निश्चित आकार से अधिक के आकार में स्थित लघु सिंचाई टैकों का संधारण, सामाजिक कल्याण छात्रावासों का संधारण इत्यादि का उत्तरदायित्व ले सकती हैं। तथापि, जैसा कि हमें बताया गया है, कि सरकार ने पहले से ही भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 29 'मामलों' से संबंधित कार्यों एवं योजनाओं का आवश्यक **'dk; dyki fp=.k'** तैयार कर लिया है, जिसे तीनों स्तरों की पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना है, अतः हम इस दिशा में और विस्तृत अभ्यास नहीं करेंगे। फिर भी आयोग राज्य सरकार के विचारार्थ अपना मत स्पष्ट करना चाहेगा। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किसी विशिष्ट स्तर की पंचायतों को कोई प्राथमिकता अथवा विशेष महत्व नहीं दिया गया है तथा उसका संबंध 'सभी स्तरों की' पंचायतों से है, अतः यह राज्यों का उत्तरदायित्व है कि तीनों स्तरों की पंचायतों को प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की समग्र व्यवस्था में उचित एवं सही स्थान तथा भूमिका प्रदान करे। यह सही है, कि ग्राम स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सर्वाधिक समीप **xte ipk; ra** हैं। यह स्वीकार करते हुये छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों में जहाँ सेवित जनसंख्या के आधार पर एक **xte ipk; r** का औसत आकार अत्यन्त छोटा है, स्पष्टतः इन पंचायतों में अनेक प्रशासनिक, संगठनात्मक, वित्तीय, आर्थिक



एवं तकनीकी जीवन क्षमता संबंधी कमियाँ हैं, जो उनके आकार में भिन्नता के बावजूद योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं। अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन श्रेणीबद्ध प्रकृति का होने के कारण यह संभव नहीं है, कि ये अत्यन्त छोटी स्थानीय शासन इकाइयाँ, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की एकमात्र एवं अंतिम अभिकर्ता बन सके। अन्य शब्दों में हमें यह समझना होगा, कि समग्र ग्रामीण विकास के संदर्भ में जहाँ पंचायत के प्रत्येक स्तर को एक निश्चित एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, वहाँ सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य केवल **xte ipk; rka** को सौंपना उस उद्देश्य को ही नकारना होगा, जिसके लिये मध्यवर्ती एवं जिला स्तरीय पंचायतों की संकल्पना की गई एवं उन्हें स्थापित किया गया। अतएव हमारी अनुशंसा है, कि राज्य सरकार सुनिश्चित करें, कि ग्रामवासियों को सेवाओं के प्रदाय में कुशलता एवं मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुये तदनु रूप तीनों स्तरों की पंचायतें उचित तरीके से क्रियात्मक रूप से सशक्त बनें। यह दृष्टिकोण कार्यात्मक एवं राजकोषीय अंतरण के **'ijdrk'** के सिद्धांत के अनुरूप भी है।

- (10) XIIवें वित्त आयोग अनुदानों की अवधि 2005-06 से 2009-10 है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, **jkt; foRr vk; ksx dks os vuqkd k; a iLr q djuk g\$ ftuds vk/kj ij XII0a foYk vk; ksx l s iklr vuqkuka dk ipk; rka dks vkca/u gkskA** जैसा कि दो बजट वर्ष (2005-07) निकल ही चुके हैं, अतः हम राज्य की विभिन्न स्तरों की पंचायतों में **XII0a foRr vk; ksx** अनुदान के वितरण संबंधी निम्नलिखित अनुशंसायें 2007-08 से प्रारम्भ कर केवल तीन वर्षों के लिये करेंगे। उसके बाद **XIII0a foRr vk; ksx** द्वारा अनुशंसित अनुदान, जो 2010-11 से लागू होंगे, भी पंचायतों को तब तक उसी प्रकार हस्तांतरित किये जा सकते हैं, जैसा हमने **XII0a foRr vk; ksx** अनुदानों के वितरण की अनुशंसा की है, जब तक अगले राज्य वित्त आयोग के द्वारा मानदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता।

- (i) **XIIo9 foRr vk; ksx** के कुल रु. 123 करोड़ के वार्षिक अनुदान में से 6% अर्थात् रु. 738 लाख, **lykd Lrj ij y[ki kyka ds 3 in fufeŕ djus grq** उपयोग में लाये जाये। इनमें से एक पद **tuin ipk; r** के लेखों के रख-रखाव के लिये तथा शेष दो, ब्लाक के अंदर स्थित **xte ipk; rka** के लेखों के रख-रखाव, एकत्रीकरण तथा अनुश्रवण के लिये होंगे। ब्लाक स्तर पर प्रत्येक **xte ipk; r** के लेखों के रख-रखाव का यह आशय नहीं है, कि इस स्तर के लेखापाल जहाँ तक **xte ipk; rka** के लेखों को तैयार करने, रख-रखाव करने एवं प्रस्तुत करने का संबंध है, पंचायत सचिवों के स्थानापन्न होंगे। **xte ipk; r** का सचिव अपनी पंचायत की प्राप्तियों एवं व्ययों से संबंधित निर्धारित रजिस्ट्रों एवं लेखों को तैयार कर उनका संधारण करता रहेगा। तथापि उसे अपने संबंधित जपनद के सी.ई.ओ. को अपनी **xte ipk; r** के तिमाही एवं वार्षिक लेखें प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त ब्लाक स्तरीय लेखापालों को **xte ipk; rka** में जाकर उनके लेखों का आंतरिक अंकेक्षण करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके, कि **xte ipk; rka** स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा विधिक अंकेक्षण की दृष्टि से अपने लेखे, रजिस्टर, एवं अन्य संबंधित दस्तावेज ठीक से रखें। प्रत्येक पंचायत के लेन-देन की जानकारी ब्लाक स्तर पर **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ. के अधीन कार्यरत **xte ipk; r** लेखापालों द्वारा राशियों के स्रोत एवं व्यय के क्षेत्र एवं प्रकार के अनुसार एकत्रित वर्गीकृत एवं अनुश्रवित की जायेगी। उदाहरण के लिये "सड़कों का निर्माण एवं संधारण" जैसे एक क्षेत्रीय/कार्यात्मक मद के लिये संभव है, कि **xte ipk; r** ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों के अधीन प्रतिबद्ध एवं अप्रतिबद्ध राशियों का उपयोग किया हो। ऐसे मामलों में यह आवश्यक है, कि

ब्लाक स्तर पर एक पृथक रजिस्टर में “ग्रामीण सड़कों” नाम के प्रमुख मद के अंतर्गत प्रत्येक स्रोत से प्राप्त राशियाँ तथा **‘fuelzk’** एवं **‘alkj.k’** पर उनका पृथक-पृथक व्यय दर्शाया जाय, जिससे प्रत्येक **xte ipk; r** द्वारा ‘सड़क निर्माण’ के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त व्यय की गई समग्र राशि का मूल्यांकन किया जा सके। वर्तमान में ब्लाक स्तर पर **xte ipk; rka** के वित्तीय लेन देन संबंधी समकों के मामलों में शून्य की स्थिति है। जो लेखें रखे भी जा रहे हैं, वे लॉन्ड्री सूची की तरह हैं तथा **xte ipk; rka** के अधिकांश सचिव अपनी पंचायतों के अद्यतन एवं विश्वसनीय लेखे नहीं रख रहे हैं। जैसा कि राज्य की **xte ipk; rka** के कोष में राजस्व अंशभागिता तथा सहायता अनुदानों के माध्यम से काफी राशियाँ प्रवाहित हो रही हैं, अतः यह सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है, कि **xte ipk; rka** द्वारा इन राशियों का उचित एवं पूर्ण उपयोग उनके निर्धारित उद्देश्यों के लिये हो। इस संदर्भ में **xte ipk; rka** के वित्तीय लेन देनों में पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक है तथा उस पर बल दिया जाना चाहिये।

प्रत्येक **tuin ipk; r** के सी.ई.ओ. के लिये यह आवश्यक होना चाहिये, कि वह प्रत्येक तिमाही अपने ब्लाक की **xte ipk; rka** की प्राप्तियों एवं व्ययों का समेकित लेखा, जो क्षेत्रीय मदों के अनुसार समुचित रूप से वर्गीकृत हो **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ. को प्रस्तुत करें तथा उसकी एक प्रति जिले के उप संचालक, पंचायत को दे। इन पंचायत अधिकारियों को **xte ipk; r** द्वारा किये गये व्यय, जिसका उन्होंने दावा किया है, के भौतिक सत्यापन करने के अवसर दिये जाये।

- (ii) हमारी अनुशंसा है, कि रू. 123 करोड़ के वार्षिक अनुदान में से अन्य 3% अर्थात् रू. 369 लाख, **jkt; Lrj ij ipk; r l pkyuky; ea, d i Fkd ^vuqlo.k , oa eW; kdu izk^B^ dh LFkki uk ds fy; s** निर्धारित किये जाये। इस प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व होगा, कि वह राज्य की तीनों स्तरों की पंचायतों से संबंधित वित्तीय समकों को अपने जिला स्तरीय प्रकोष्ठों एवं **ftyk ipk; rka** के सी.ई.ओ. से प्रत्येक वित्तीय तिमाही एवं वर्ष के लिये नियमित रूप से एकत्रित एवं संपादित करे। इस प्रकोष्ठ को यह भी उत्तरदायित्व दिया जाय, कि वह **jkt; foRr vk; ksx** एवं **dbnh; foRr vk; ksx** को न केवल पंचायतों के वित्त संबंधी सांख्यिकीय एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराये वरन् राज्य में पंचायत राज संबंधी अन्य प्रासंगिक विषयों/पहलुओं पर भी जानकारी दे।
- (iii) हम यह भी अनुशंसा करते हैं, कि रू. 123 करोड़ के वार्षिक अनुदान में से रू. 492 लाख, जो अनुदान राशि के 4% होते हैं, को राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित ब्लाक स्तर पर **l kepkf; d ipk; r l eg (Cluster) l d k/ku dbnka ds fy; s** निर्धारित एवं व्यय किया जाय।
- (iv) हम अनुशंसा करते हैं, कि रू. 123 करोड़ के वार्षिक अनुदान में से रू. 246 लाख, **xteh.k fodkl jkt; l hFku , oa ml ds v/khu dk; jr ihVh-l h@bVh-l h ds fy; s** निर्धारित किये जायें। इस अनुदान का उपयोग इन संस्थाओं के द्वारा अपनी प्रशिक्षण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने तथा सभी स्तरों की पंचायतों के अधिकारिक एवं गैर-अधिकारिक कार्मिकों को पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये किया जा सकेगा। यह अनुदान XIIवें वित्त आयोग आबंटन का 2% होता है।

- (v) **XIIo9 foRr vk; ksx** अनुदान की शेष 85% राशि जो रू 104.55 करोड़ प्रति वर्ष होती है, **ftyk ipk; rka tuin ipk; rka** एवं **xte ipk; rka** में क्रमशः 15:25:60 के अनुपात में आबंटित किया जाय। अन्य शब्दों में : - **123 djkl+** के कुल अनुदान में **ftyk ipk; rka tuin ipk; rka** एवं **xte ipk; rka** के अंशभाग क्रमशः : - **1568-25 yk[k] : - 2613-75 yk[k , oa : - 6273-00 yk[k ifro"K** होंगे। हमने **XIIo9 foRr vk; ksx vuqku ds 85%** को तीनों स्तरों की पंचायतों में दो प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुये विभाजित किया। **ifke]** क्योंकि अधिकांश मूलभूत नागरिक सेवाओं का संधारण **xte ipk; r** स्तर पर होता है, अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये, कि इन तृणमूल अथवा आधार स्तर की ग्रामीण स्थानीय शासन इकाइयों को XIIवें वित्त आयोग के रू. 123 करोड़ वार्षिक के कुल अनुदान का न्यूनतम 50% प्राप्त हो सके। पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत सेवाओं पर **xte ipk; rka** का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये तथा वे ही, लोगों को इन सेवाओं के प्रदाय की, एकमात्र अभिकर्ता हों। **f}rh; ]** निकट भविष्य में राज्य की अन्य दो स्तरों की पंचायतों को कतिपय अतिरिक्त उत्तरदायित्व हस्तांतरण की संभावना को देखते हुये, जिनमें हम आशा करते हैं, कि नागरिक प्रकृति के मूलभूत एवं अत्यावश्यक कार्यों संबंधी कतिपय उत्तरदायित्व भी शामिल होंगे, यह आवश्यक है, कि उन्हें इनके संचालन एवं संधारण के लिये वित्तीय सहायता सुनिश्चित हो।
- (vi) आयोग को ज्ञात हुआ, कि राज्य सरकार को अब तक (अक्टूबर 30, 2006) वर्ष 2005—06 की रू. 123 करोड़ की कुल वार्षिक अनुदान राशि तथा 2006—07 के अनुदान की प्रथम किश्त संघ सरकार से प्राप्त हो चुकी है। **XIIo9 foRr vk; ksx** के इस वार्षिक अनुदान को राज्य की **ftyk ipk; rka tuin ipk; rka** एवं **xte ipk; rka** में क्रमशः 20:30:50 के अनुपात में पंचायतों की विभिन्न इकाइयों द्वारा

सेवित जनसंख्या एवं क्षेत्रफल (दोनों को समान भार देते हुये) के आधार पर आबंटित किया गया।

फिर भी हमारा मत है, कि लेखा एवं अंकेक्षण व्यवस्था का सुदृढीकरण, दक्षता वृद्धि के लिये प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत प्रशासन एवं वित्त संबंधी समंक आधार का निर्माण जैसे अनेक अन्य उपेक्षित क्षेत्र हैं, जिन्हें वित्तीय सहायता भले ही वह सीमित मात्रा में हो, की आवश्यकता है। **vr, o geus XII o a foRr vk; ks ds dy vuqku ea l s 15% bu l Hkh {ks=ka ds fy; s fu/kkijr fd; k Fkk rFkk 'k'k 85% i pk; rka dks mu enyHkur , oa vR; ko' ; d l okvka ds 0; oLFkki u , oa l dkj.k ykxrka dh i firZ grq nus dh vuqka k dh Fkhj** जिनसे इन सेवाओं के प्रदाय की अपेक्षा है।

(vii) तथापि, आयोग **XII o a foRr vk; ks** अनुदान के 85% जिलेवार आबंटनों को पूर्णरूप से जनसंख्या एवं क्षेत्रफल जैसे एक या दो आधारों पर हस्तांतरण के पक्ष में नहीं है। इसके स्थान पर आयोग की अनुशंसा है, कि राज्य की विभिन्न स्तरों की पंचायतों को आबंटित राशि को निम्नलिखित चार स्पष्ट एवं सरल संकेतकों के आधार पर **ftyk i pk; rka** के सीई.ओ. को आबंटित किया जाय—

(अ) जिले की **xteh.k tul d; k dk jkT; dh dy xteh.k tul d; k** (जनगणना 2001) में प्रतिशत जिसका **dy folhktuh; dsk ea 60% dk Hkj** हो।

(ब) **ftys ds xteh.k {ks=Qy dk jkT; ds dy xteh.k {ks=Qy** (2001) में प्रतिशत जिसका कुल विभाजनीय कोष में **20%** का भार हो।

- (स) *ftys dh xkeh.k vuq fpr tkfr ,oa tutkfr dh l fefyr tul d;k dk jkT; dh dgy xkeh.k vuq tkfr ,oa tutkfr tul d;k* (2001) में प्रतिशत, विभाजनीय कोष में 10% के भार के साथ, तथा
- (द) 10% वर्ष 2003-04 में जिले की *xte ipk; rka* द्वारा संग्रहित *ifr 0; fDr vkrfjd jktLo dk ¼vkjk-l a½* उसी वर्ष में *jkT; dh l Hkh xte ipk; rka ds dgy ifr 0; fDr vkajk-l a* में प्रतिशत।

तदनुसार राज्य के विभिन्न जिलों के प्रतिशत अंशभाग की गणना की गई है, जो वहीं है, जो *l kj.kh Ø-3-15* में दर्शायी गयी है। तथापि उचित होगा यदि राज्य सरकार विभाजनीय कोष में प्रत्येक जिले का व्यक्तिगत एवं समग्र प्रतिशत अंशभाग अंतिम रूप से तय करने के पूर्व राशियों की पुनः गणना कर ले।

- (viii) *dgy folhktuh; dksk ¼xIIoa foRr vk; ksx vuqku dk 85%½* का 16 जिलों में प्रत्येक के जिला पंचायत सी.ई.ओ. को उनके प्रतिशत अंशभाग के आबंटन के बाद, प्रत्येक सी.ई.ओ. जिला आबंटन को जिले की *ftyk ipk; r, tuin ipk; rka* एवं *xte ipk; rka* में क्रमशः 15:25:60 के अनुपात में विभाजित करेगा। जहाँ तक *XIIoa foRr vk; ksx vuqku* में *xte ipk; rka* के अंशभाग का प्रश्न है, सी.ई.ओ. द्वारा आबंटन के 75% भाग का वितरण सीधे *xte ipk; rka* को *tul d;k* के 70% तथा *Hksksfyd {ks-Qy* के 30% भार के आधार पर किया जाय। *xte ipk; rka* के लिये आवश्यक कर दिया जाय, कि वे सुरक्षित पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता, जिसमें निकासी योजनायें भी शामिल हों, पर अपने आबंटन

का 50% से कम व्यय नहीं करेंगी। इसके अतिरिक्त उनके लिये यह भी आवश्यक हो, कि वे **mi HkkDrk eW; k** के माध्यम से उन्हें आबंटित **xIoa foRr vk; ks** अनुदान के कम से कम 25% के बराबर अतिरिक्त राजस्व जुटायें। जहाँ तक जिले के आबंटन में **tuin ipk; rka** के अंशभाग का प्रश्न है, **ftyk ipk; r** सी.ई.ओ. अपने जिले की **tuin ipk; rka** में राशि का वितरण **tul q; k** **{ks-Qy , oa vuqtkfr@tutkfr dh l fefyr tul q; k** के आधार पर क्रमशः 60:25:15 के अनुपात में करें।

- (ix) जहाँ तक जिले के आबंटन में **xte ipk; rka** के 25% भाग का संबंध है, उसका एक पृथक **ftyk xte ipk; r dsk** स्थापित किया जाय, जिसका संचालन जिला पंचायत के सी.ई.ओ. करें। एक जिला मूलभूत आवश्यकता समिति का गठन किया जाय, जिसके पदेन अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष हों तथा जिला पंचायत सी.ई.ओ. उसके सदस्य संयोजक हों। समिति में सभी ZPTC सदस्य, **tuin ipk; rka** के अध्यक्ष एवं **xte ipk; rka** के 30 सरपंच, जिन्हें क्रमानुसार जिला कलेक्टर के द्वारा नामांकित किया जायेगा, होंगे। समिति जिले की उन **xte ipk; rka** से आवेदन आमंत्रित कर उन पर विचार करेगी, जिन्हें अपनी मूलभूत सेवाओं के व्यवस्थापन एवं संधारण के लिये जिला **xte ipk; r** कोष के 25% में से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो। सभी यथार्थ प्रकरणों में कोष से **xte ipk; rka** को अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का समिति का उत्तरदायित्व होगा। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये, कि जरूरतमंद **xte ipk; rka** में इस कोष की संपूर्ण राशि का वितरण एवं **xte ipk; rka** द्वारा इसका उपयोग उसी वित्त वर्ष में पूर्ण हो जाय, जिसमें उन्हें राशि प्राप्त हुई। किसी भी स्थिति में कोष को न तो किसी अन्य उद्देश्य के लिये परिवर्तित किया जाय और न ही उसे अप्रयुक्त रखा जाय, उसे केवल



*xte ipk; rka* के द्वारा तथा *xte ipk; rka* के लिये व्यय किया जाय। राज्य सरकार, *ftyk ipk; rka* के सी.ई.ओ. को इस कोष के उपयोग संबंधी मार्गदर्शिका जारी कर सकती है।

- (x) *tuin ipk; ra* एवं *ftyk ipk; ra XIIoa foRr vk; ks* अनुदान के अपने-अपने अंशभाग का उपयोग अपने अधीनस्थ योजनाओं के व्यवस्थापन एवं संधारण लागतों की पूर्ति ऑफिस भवनों को मिलाकर अपनी आस्तियों के संधारण इत्यादि पर न्यूनतम 75% तक अवश्य करें। इन मध्यवर्ती एवं शीर्ष स्तरीय पंचायतों को *XIIoa foRr vk; ks* अनुदान के 25% तक का उपयोग अपने आवर्ती प्रकृति के कार्यालय एवं प्रशासकीय व्ययों की पूर्ति के लिये कराने की अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकार इस संबंध में इन पंचायतों को मार्गदर्शिका जारी कर सकती है।

### 3.2.5 राजस्व समतुल्य (मैचिंग) प्रोत्साहन अनुदान :

पंचायतों को उन्हें उपलब्ध राजस्व-संग्रहण अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिये आकर्षक प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रेरित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। *xkxkj rlfeyukMq , oa vku?ki ns'k* जैसे राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों ने, *xte ipk; rka* एवं मध्यवर्ती पंचायतों के लिये, कतिपय राजस्व-समतुल्य अनुदानों को प्रारम्भ किया है।

यह उल्लेख करना आवश्यक है, कि किसी भी प्रोत्साहन योजना का संबंध, निर्धारित कर दरों तथा पंचायतों के कतिपय अधिरोपणों के संग्रहण के स्तर दोनों से होना आवश्यक है। योजना कतिपय सत्यापनयोग्य, परिमाणात्मक, सरल एवं वस्तुपरक निष्पादन चरों पर आधारित होनी चाहिये। इन विचारों को ध्यान में रखते हुये, आयोग की अनुशंसा है, कि राज्य सरकार विभिन्न स्तरों की पंचायतों के लिये,

राजस्व-समतुल्य प्रोत्साहन अनुदान की एक नई योजना अपनाये, जिसे **l kj.kh** **Ø- 3-17** में देखा जा सकता है।

इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा, कि जब तक पंचायतों के अतिरिक्त राजस्व-संग्रहण अधिकार तथा सौंपे गये राजस्व संबंधी हमारे द्वारा सुझाये गये सभी सुधार क्रियान्वित नहीं हो जाते, तब तक संक्रमण कालीन उपाय के रूप में राज्य सरकार, पंचायतों के लिये **ʃktLo&l erʃ; vuŋku^** की एक योजना प्रारम्भ करें, बशर्ते पंचायतें निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करें :

- (1) कि **xte ipk; r** ने वर्तमान अनिवार्य कर एवं जल दर पूर्णतः विधिक प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी कार्यपालिक विनियमों के अनुसार लगाये हैं,
- (2) कि पंचायत क्षेत्र में स्थित सभी कर योग्य भवनों के कर-योग्य मूल्यों का भवनों पर कर की दृष्टि से वस्तुपरक मूल्यांकन कर लिया गया है तथा उपभोक्ता-मूल्य जैसे प्रकाश कर एवं जल दर तय कर दिये गये हैं,
- (3) कि अनिवार्य करों एवं जल-दर के संबंध में 'माँग' उचित रूप से निर्धारित की गई है,
- (4) कि **xte ipk; r** ने वर्ष के अपने अनिवार्य करों एवं जल दर के न्यूनतम 75% की वसूली कर ली है, जो संबंधित लेखों में दर्ज है।

तथापि इस अनुदान की पात्रता तभी होगी, जब जिला स्तर पर पदस्थ उप संचालक, पंचायत यह प्रमाणित करेगा, कि संबंधित **xte ipk; r** ने वे सभी शर्तें पूरी कर दी हैं, जिनका हमने अपनी अनुशंसा के साथ पिछले परिच्छेद में उल्लेख किया है। जब तक इस संबंध में कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, राज्य सरकार जिला पंचायत के सी.ई.ओ.

को आदेश दे सकती है, कि वह *ftyk ipk; r jkt dksk* में से अनुदान के पात्र माँग कर्ता को प्रोत्साहन अनुदान जारी करें।

### 3.2.6 सरपंचों के लिये समूह दुर्घटना बीमा :

ग्रामीण भारत के समग्र विकास में एक *xke ipk; r* के राजनैतिक प्रमुख की भूमिका अन्य दो स्तरों की पंचायतों के उसके समरूप व्यक्तियों की तुलना में घुरी जैसी होती है। वह ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत इस धरातल स्तर की स्थानीय शासन संस्था का कप्तान होता है तथा उस पर अनेक उत्तरदायित्वों का भार होता है, जिनमें ग्राम सभा की बैठक बुलाना एवं उसका संचालन करना, स्थानीय राजस्व का अधिरोपण एवं वसूली सुनिश्चित करना तथा *xke ipk; r* के दैनंदिन कार्यों का पर्यवेक्षण करना शामिल हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद सरपंचों में से लगभग 50% (अन्य दो स्तरों में उनके समरूपों को छोड़कर) ग्रामीण समाज के सीमान्त वर्ग के होते हैं, जिनमें अनुजाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति एवं महिलायें होती हैं तथा जिनमें से अधिकांश निरक्षर अथवा अर्द्धसाक्षर होते हैं तथा उन्हें पंचायत प्रशासन का या तो कोई अनुभव नहीं होता अथवा बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों से सीधे संपर्क में आने के कारण उनके कार्य अथवा अकार्य सामान्यतया अधिक पारदर्शी हो जाते हैं। वास्तव में उन्हें ग्रामीण समाज के दबाव-समूहों औपचारिक एवं अनौपचारिक का सामना करना होता है। अतएव प्रारम्भ में *xke ipk; rka* के राजनैतिक प्रमुखों के इस विशिष्ट वर्ग को वर्ग प्रतिद्वंदता, दुर्घटनायें, प्राकृतिक अथवा मानवी प्रकोपों आदि से, जिनसे उनकी मृत्यु अथवा स्थायी शारीरिक अपंगता हो सकती है, विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है।

ऐसी सभी संभावनाओं में अपंग अथवा मृत सरपंचों के परिवारों को भरोसा देने के दृष्टिकोण से निर्वाचित सरपंचों के लिये उनके कार्यकाल की अवधि के लिये '1 *ewj nqk/Wuk chek*' योजना प्रारम्भ करना आवश्यक है। तदनुसार हम अनुशंसा करते हैं, कि राज्य सरकार, ऐसे कार्यरत सरपंच के कानूनी वारिस को न्यूनतम : - 2 *yk[k dh foRrh; I gk; rk* सुनिश्चित करे, जिनकी आयु एवं दीर्घ बीमारी के अतिरिक्त ऐसे कारणों से मृत्यु हो अथवा स्थायी तौर पर पूर्ण रूप से अपंग हो जाये, जो उनके नियंत्रण में नहीं है। इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये, कि वह किसी उपयुक्त बीमा कम्पनी के साथ मिलकर एक योजना बनाये तथा राज्य कोष से बीमा प्रीमियम का भुगतान करे। इस प्रीमियम भुगतान का कोई वित्तीय भार सरपंचों पर न डाला जाय। राज्य सरकार इस कार्य के लिये प्रत्येक जिले को एक अनुदान आबंटित करे, जिसका प्रशासन जिला कलेक्टर के अधीन हो।

### 3.2.7 सर्वसम्मत निर्वाचन अनुदान :

*xte ipk; rka* के सरपंच एवं सदस्यों के सर्वसम्मत निर्वाचन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, *vk/W/ki ns'k* की भाँति (कतिपय स्थानीय संशोधनों के साथ) छत्तीसगढ़ सरकार, पंचायतों के अगले आम चुनाव से उन पंचायतों के लिये एक अनुदान का प्रस्ताव कर सकती है, जो अपने सदस्यों तथा/अथवा सरपंच का सर्वसम्मत चुनाव करें। सर्वसम्मत चुनावों से सरकार के चुनाव व्यय में कमी होती है, प्रत्याशियों के चुनाव अभियान पर होने वाला भारी व्यय बचता है तथा चुनाव के अवसर पर होने वाले समूह संघर्ष एवं हिंसा से बचा जा सकता है।

*vk/W/ki ns'k* में राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में हुये पंचायतों के आम चुनावों के लिये उन *xte ipk; rka* के लिये एक प्रोत्साहन अनुदान घोषित किया था, जिन्होंने अपने सरपंच तथा सदस्यों को सर्वसम्मति से बिना चुनाव निर्वाचित किया। बिना वोट सरपंच के चुनाव के लिये प्रत्येक प्रमुख ग्राम पंचायत को रु. 15 लाख तथा प्रत्येक छोटी *xte ipk; r* को रु. 5 लाख अनुदान का प्रस्ताव था।

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में तीन प्रकार के सर्वसम्मत निर्वाचन अनुदानों को प्रारंभ कर सकती है। **ifke]** जहाँ ग्रा.पं. केवल अपने सरपंच का ही निर्वाचन सर्वसम्मति से कर पाती है, उसे रू. 50,000 का अनुदान। **f}rh;** , जहाँ केवल **xte ipk; r** के सभी सदस्य सर्वसम्मत रूप से चुने जाते हैं, उसे रू. 1.00 लाख का अनुदान। **r}rh;]** जहाँ निर्वाचक मण्डल, सरपंच एवं सभी सदस्यों को सर्वसम्मत रूप से चुनता है, वहाँ संबंधित ग्रा.पं. को रू. 1.50 लाख अनुदान की पात्रता हो। इसी प्रकार राज्य सरकार **tuin ipk; r** एवं **ftyk ipk; r** अध्यक्ष के सर्वसम्मत चुनाव के लिये क्रमशः रू. 5 लाख एवं रू. 15 लाख प्रोत्साहन अनुदान निश्चित कर सकती है। तथापि यह अनुदान **^vifrc)** प्रकृति का होगा तथा उनके 'सामान्य कोष' का अंग होगा।

तथापि राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, कि संबंधित **xte ipk; r** इसका उपयोग केवल सड़कों के प्रकाश तथा पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिये ही करें। इसके अतिरिक्त यह अनुदान केवल पंचायतों के आम चुनावों के लिये ही हों, जो पाँच वर्ष में एक बार होते हैं और आगे इन अनुदान प्रस्तावों के फलस्वरूप होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति प्रारम्भिक तौर पर **ftyk ipk; r jkt dksk** से की जाय।

सारणी क्र. 3.1  
 यत्कृतकृत्ययुद्धसर्वत्र  
 खे, तातुनिक; रकडकृतकृत्ययुद्धसर्वत्र  
 2001&2002 I s 2004&2005½

(लाख रु.)

Ø-	ftyk	i pk; rka dks I k k x; k dy jktLo			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1	बस्तर	4.52	4.45	12.25	20.07
2	बिलासपुर	9.31	6.16	63.57	59.30
3	दन्तेवाड़ा	2.08	2.17	14.37	4.29
4	धमतरी	0.89	0.47	2.59	3.47
5	दुर्ग	0.69	0.61	2.98	9.84
6	जांजगीर-चांपा	5.13	3.52	8.34	52.97
7	जशपुर	9.01	5.34	38.48	28.48
8	कवर्धा	0.00	0.00	0.00	9.24
9	कांकेर	0.00	1.89	6.35	1.93
10	कोरबा	17.03	8.59	37.65	30.25
11	कोरिया	1.18	5.69	23.44	32.70
12	महासमुन्द	5.81	2.67	19.86	19.36
13	रायगढ़	9.42	11.66	52.80	38.74

14	रायपुर	12.77	22.38	70.23	45.56
15	राजनांदगाँव	3.18	4.26	23.15	11.13
16	सरगुजा	8.98	10.14	13.94	32.67
; kx		90.00	90.00	390.00	400.00

स्रोत- संयुक्त संचालक (भौमिक), संचानालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़।

सारणी क्र. 3.2

हक जतल, oal kkl; Hk&mi dj  
I siklr jktLo dk ipk; rka dks gLrkfj.k  
½2001&2002 I s 2005&2006½

(लाख रु.)

o"l	I xfg I dy jktLo	I k k x; k I xfg I dy I kkl; Hk&mi dj	; kx	I xg.k yloxr ¼10%½	vupfur ipk; rka dks gLrkfj 'k jktLo
1	2	3	4	5	6
2001-02	1657	828.50	2485.50	248.55	2236.95
2002-03	1256	628.00	1884.00	188.40	1695.60
2003-04	381	190.50	571.50	57.15	514.35
2004-05	2869	1434.50	4303.50	430.35	3873.15
2005-06 (पुन. अनु.)	4501	2250.50	6751.50	675.15	6076.35

सारणी क्र. 3.3

jkT; I jdkj }kjk ipk; rka dks inRr dy I k k x; k jktLo  
½2001&2002 I s 2005&2006½

(लाख रु.)

o"l	jkT; I jdkj }kjk I xfg jktLo*	ipk; rka dks gLrkfj r jk'k	deh
1	2	3	4
2001-02	3252*	3252	-
2002-03	2796*	2796	-
2003-04	1924*	1704	220 <sup>@</sup>

2004-05	5423	5283	140 <sup>@</sup>
2005-06 ½c-v-½	7776 <sup>\$</sup>	7276 <sup>\$</sup>	400 <sup>@</sup> 100 <sup>£</sup>
; lxx	21171	20311	860

ukv/ % \* यह मान लिया गया है कि लघु खनिजों पर रायल्टी, भूराजस्व एवं भू उप-कर के हस्तांतरित राजस्व की राशि नहीं है, जो राज्य सरकार ने इन करों से संग्रहित की है।

£ अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क

@ बिक्री कर पर अधिभार में अंशभाग

\$ अल्प खनिजों पर रायल्टी इसमें शामिल नहीं है।

सारणी क्र. 3.4

ipk; rka dks l kls x; s jktLo  
½2001&02 l s 2005&06½

(लाख रु.)

o"z	jktLo en	jktLo tks gLrkrfjr fd;k tkuk g\$	ipk; rka dks l kls x; k jktLo	deh
1	2	3	4	5
2001-02	अ. स्टाम्प शुल्क अतिरिक्त प्रभार	750	750	-
	ब. बिक्रीकर पर अधिभार में अंशभाग	175	175	-
	स. लघु खनिजों पर रायल्टी	90*	90	-
	द. भू-राजस्व एवं सामान्य भू-उपकर	2237*	2237*	-
	<b>mi ; lxx</b>	<b>3252</b>	<b>3252</b>	-
2002-03	अ. स्टाम्प शुल्क अतिरिक्त प्रभार	800	800	-
	ब. बिक्रीकर पर अधिभार में अंशभाग	210	210	-
	स. लघु खनिजों पर रायल्टी	90*	90	-
	द. भू-राजस्व एवं सामान्य भू-उपकर	1696*	1696*	-
	<b>mi ; lxx</b>	<b>2796</b>	<b>2796</b>	-
2003-04	अ. स्टाम्प शुल्क अतिरिक्त प्रभार	800	800	-
	ब. बिक्रीकर पर अधिभार में अंशभाग	220	-	220
	स. लघु खनिजों पर रायल्टी	390*	390	-
	द. भू-राजस्व एवं सामान्य भू-उपकर	514	514	-
	<b>mi ; lxx</b>	<b>1924</b>	<b>1704</b>	<b>220</b>
2004-05	अ. स्टाम्प शुल्क अतिरिक्त प्रभार	800	800	-
	ब. बिक्रीकर पर अधिभार में अंशभाग	350	210	140
	स. लघु खनिजों पर रायल्टी	400*	400	-
	द. भू-राजस्व एवं सामान्य भू-उपकर	3873*	3873*	-
	<b>mi ; lxx</b>	<b>5423</b>	<b>5283</b>	<b>140</b>
2005-06 (ब.अ.)	अ. स्टाम्प शुल्क अतिरिक्त प्रभार	900	800	100
	ब. बिक्रीकर पर अधिभार में अंशभाग	400*	-	400



	स. लघु खनिजों पर रॉयल्टी	400*	400*	-
	द. भू-राजस्व एवं सामान्य भू-उपकर	6076*	6076*	-
	<b>mi ; kx</b>	<b>7776</b>	<b>7276</b>	<b>500</b>
; kx	अ. स्टाम्प शुल्क अतिरिक्त प्रभार	4050	3950	100
	ब. बिक्रीकर पर अधिभार में अंशभाग	1355	595	760
	स. लघु खनिजों पर रॉयल्टी	1370@	1370@	-
	द. भू-राजस्व एवं सामान्य भू-उपकर	14396*	14396*	-
	<b>egk ; kx</b>	<b>21171</b>	<b>20311</b>	<b>860£</b>

नोट : @ वर्ष 2005-06 के ऑकड़े उपलब्ध नहीं

\* रा. वि. आ. की मान्यता अनुसार

£ केवल मद (अ) एवं (ब) शामिल

सारणी क्र. 3.5

**i pk; rka dks I kx s x; s**  
**jktLo I ædkh vuqka kvka dk I kjka k**

Ø-	jktLo dk I kr	vuqka k
1	2	3
1	<b>H&amp;jktLo</b>	वर्तमान स्थिति यथावत जारी रहे।
2	सामान्य भू-उपकर	सरकार भू-उपकर वर्तमान 50% से बढ़ाकर 250% करें तथा उसकी शुद्ध प्राप्तियों को भू-राजस्व के साथ जिला पंचायत राज कोष में जमा किया जाय, जिसका उपयोग पंचायतों को ऋण पूंजी स्वीकृत करने हेतु किया जाय। राज्य सरकार कोष को भू-राजस्व संग्रहण के बराबर समतुल्य अनुदान दें।
3	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	1% की वर्तमान दर बढ़ा कर 2% की जाय तथा इससे प्राप्त शुद्ध राजस्व को ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों में 3:1:1 के अनुपात में हस्तांतरित किया जाय। व्यक्तिगत पंचायतों में आपसी वितरण प्रति व्यक्ति आधार पर किया जाय।
4	बिक्री कर पर अधिभार	सरकार अधिभार की वर्तमान 10% की दर बढ़ाकर 15% करें तथा उसके राजस्व के 30% को हस्तांतरित करे अथवा बिना दर बढ़ाये अधिभार राजस्व के 50% का हस्तांतरण पंचायतों को करे। अधिभार राजस्व का ग्राम पंचायत जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों में आबंटन 3:1:1 के अनुपात में किया जाय तथा व्यक्तिगत जनपद एवं ग्राम पंचायतों में आपस में वितरण प्रति व्यक्ति आधार पर किया जाय।
5	लघु खनिजों पर रॉयल्टी	विभाजनीय राजस्व में ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों का अंशभाग क्रमशः वर्तमान के 4:1 अनुपात के स्थान पर 3:1 किया जाय।
6	मनोरंजन कर	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों पर लगे मनोरंजन कर

		की सकल राशि का 90% शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में क्रमशः 2:1 के अनुपात में हस्तांतरित किया जाय। पंचायतों के अंशभाग (30%) को प्रत्येक जिले की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर जिला पंचायती राज कोष में जमा किया जाय।
7	लघु वनोपज	लघु वनोपज की प्राप्तियों का 30% अनुसूची -V के क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाय।
8	कृषि उत्पाद विपणन परिसंघ द्वारा संग्रहित राजस्व	राजस्व का 50% स्थानीय निकायों को, इसका 80% ग्रामीण स्थानीय निकायों –जनपद एवं ग्राम पंचायतों को संग्रहण के आधार पर 1:2 के अनुपात में हस्तांतरित किया जाय तथा शेष 20% नगरीय स्थानीय निकायों में 7:18 के अनुपात में नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को समानता के आधार पर वितरित किया जाय।

सारणी क्र. 3.6

2728 U; kn'khz xke i pk; rk ds foRr ea l gk; rk vuqku  
1/1999&2000 , oa 2003&04½

Ø-	ikflr dk en	1999&2000		2003&04		% of)
		jk'k ½yk[k : 0½	dy ikflr; ka ea %	jk'k ½yk[k : 0½	dy ikflr; ka ea %	
1	2	3	4	5	6	7
I	कुल प्राप्तियाँ	5693.57	100.00	7839.32	100.00	37.69
II	Hk&jktLo में से सौंपा गया राजस्व	307.20	5.40	78.33	1.00	-74.50
III	सहायता अनुदान					
अ	रा.foRr vk; ksx अंतरण	823.22	14.46	1032.25	13.17	25.39
ब.	सामान्य उद्देशीय अनुदान (अन्य सौंपे गये राजस्व सहित)	248.94	4.37	409.63	5.23	64.45
स	विशेष उद्देशीय अनुदान	136.87	2.40	368.92	4.71	169.54
द.	संधारण अनुदान	204.53	3.59	281.23	3.59	37.50
ई.	योजना अनुदान (12वें एवं 11वें वित्त आयोग अनुमान सहित)	529.74	9.30	941.60	12.01	77.75
	<b>III ½c½ l s ½b½ dk mi ; ksx</b>	<b>1427.28</b>	<b>25.07</b>	<b>2079.71</b>	<b>26.53</b>	<b>45.71</b>
	<b>II+III ½v½ l s ½b½ dk mi ; ksx</b>	<b>2250.50</b>	<b>39.53</b>	<b>3111.96</b>	<b>39.70</b>	<b>38.28</b>
IV	केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान					
अ	एस जी आर वाई	1037.85	18.23	1762.62	22.48	69.83
ब.	कार्य के लिये भोजन	260.44	4.57	312.30	3.98	19.91
स.	आई ए वाई	567.88	9.97	678.93	8.66	19.56

द	पी एम जी वाई (गृह निर्माण)	343.49	6.03	327.91	4.18	-4.54
ई	भू-जल/हरियाली	182.28	3.20	196.14	2.50	7.60
फ	मध्यान्ह भोजन	250.96	4.41	337.99	4.31	34.68
<b>IV dk mi ; ksx</b>		<b>2642.90</b>	<b>46.42</b>	<b>3615.89</b>	<b>46.13</b>	<b>36.82</b>
V	अन्य विविध अनुदान					
अ	सांसद निधि	154.84	2.72	141.91	1.81	-8.35
ब.	विधायक निधि	191.10	3.36	413.02	5.27	116.13
स.	जनभागीदारी कोष	90.02	1.58	8.06	0.10	-91.05
<b>v dk mi &amp; ; ksx</b>		<b>435.96</b>	<b>7.66</b>	<b>562.99</b>	<b>7.18</b>	<b>29.14</b>
<b>egk; ksx II+III 1/2 I s 1/2 IV+V</b>		<b>4506.14</b>	<b>79.14</b>	<b>6258.59</b>	<b>79.84</b>	<b>38.89</b>
<b>II I sv rd dk egk; ksx</b>		<b>5329.36</b>	<b>93.60</b>	<b>7290.84</b>	<b>93.00</b>	<b>36.81</b>

सारणी क्र. 3.7  
**9820 xte ipk; rk dks**  
**izkfi r l gk; rk vupku o"z 1/2 2003&04 1/2**

Ø-	ikflr dk en	2003&04		if r 0; fDr 1/2 -1/2 1/2 2001 1/2
		jkf'k 1/2 yk [k : 0 1/2	dy ikflr; kae %	
1	2	3	4	5
I	dy ikflr; k	28219.25	100.00	169.51
II	Hk&jktLo l s l k k x; k jktLo	281.97	1.00	1.69
III	l gk; rk vupku			
अ	रा. forr vk; ksx अंतरण	3715.80	13.17	22.32
ब.	सामान्य उद्देशीय अनुदान (अन्य सौंपे गये राजस्व सहित)	1474.55	5.23	8.86
स	विशेष उद्देशीय अनुदान	1328.00	4.71	7.98
द.	संधारण अनुदान	1012.35	3.59	6.08
ई.	योजना अनुदान (12वें एवं 11वें वित्त आयोग अनुमान सहित)	3389.48	12.01	20.36
<b>mi ; ksx III 1/2 I s 1/2 II</b>		<b>7486.35</b>	<b>26.53</b>	<b>44.97</b>
<b>mi ; ksx II+III</b>		<b>11202.14</b>	<b>39.70</b>	<b>67.29</b>
IV	केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजना अनुदान			
अ	एस जी आर वाई	6344.92	22.48	38.11
ब.	कार्य के लिये भोजन	1124.19	3.98	6.75
स.	आई ए वाई	2443.95	8.66	14.68

द	पी एम जी वाई (गृह निर्माण)	1180.38	4.18	7.09
ई	भू-जल/हरियाली	706.05	2.50	4.24
फ	मध्यान्ह भोजन	1216.66	4.31	7.31
<b>IV dk mi ; kx</b>		<b>13016.14</b>	<b>46.13</b>	<b>78.18</b>
V	अन्य विविध अनुदान			
अ	सांसद निधि	510.83	1.81	3.07
ब.	विधायक निधि	1486.75	5.27	8.93
स.	जनभागीदारी कोष	29.01	0.10	0.17
<b>v dk mi ; kx</b>		<b>2026.60</b>	<b>7.18</b>	<b>12.17</b>
<b>mi ; kx II+III 1/2 I s 1/2 \$ IV+V</b>		<b>22529.09</b>	<b>79.84</b>	<b>135.33</b>
<b>egk; kx II I s v</b>		<b>26244.89</b>	<b>93.00</b>	<b>157.65</b>

सारणी क्र. 3.8

tuin ipk; rk ds foRr ea l gk; rk vupkuka dh Hkfedk  
1/1999&2000 , oa 2003&2004 1/2

Ø-	ikflr dk en	1999&2000		2003&04		ifr 0; fDr # 1/2 2001 1/2	% of)
		jkf'k 1/2yk[k : 1/2	dy i kflr; ka ea %	jkf'k 1/2yk[k : 1/2	dy i kflr; ka ea %		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	dy i kflr; ka	11156.64	100.00	21673.67	100.00	130.19	94.27
II	I k s x; s jktLo	337.70	3.03	717.79	3.31	4.31	112.55
III	I gk; rk vupku						
1.	राज्य सरकार के अनुदान	3551.81	31.84	6318.14	29.15	37.95	77.89
2.	अभिकर्ता कार्यों के लिये अनुदान (केन्द्र प्रवर्तित एवं संबंधित विभाग योजनायें )	7185.35	64.40	14364.77	66.28	86.29	99.92
<b>III dk mi ; kx 1/2 \$ 2 1/2</b>		<b>10737.16</b>	<b>96.24</b>	<b>20682.91</b>	<b>95.43</b>	<b>124.24</b>	<b>92.63</b>
<b>II , oa III dk ; kx</b>		<b>11074.86</b>	<b>99.27</b>	<b>21400.70</b>	<b>98.74</b>	<b>128.55</b>	<b>93.24</b>

सारणी क्र. 3.9

ftyk ipk; rk ds foRr es l gk; rk vupkuka dh Hkfedk  
1/2001&02 , oa 2003&04 1/2

Ø-	en	2001&02		2003&04		ifr 0; fDr # 1/2001 1/2	% of)
		jkf'k 1/2yk[k : 0 1/2	dy i kflr; ka ea %	jkf'k 1/2yk[k : 0 1/2	dy i kflr; ka ea %		
1	2	3	4	5	6	7	8

I	रा.वित्त आयोग अंतरण	925.00	2.59	800.00	2.03	4.81	-13.51
II	राज्य सरकार के अनुदान	13135.43	36.80	8775.22	22.22	52.71	-33.19
III	अभिकर्ता कार्यों के लिये अनुदान	21312.86	59.7	29077.74	73.63	174.66	36.43
IV	पंचायत विभाग के अनुदान	320.22	0.90	837.63	2.12	5.02	161.58
<b>कुल</b>		<b>35693.51</b>	<b>100.00</b>	<b>39490.59</b>	<b>100.00</b>	<b>237.21</b>	<b>10.64</b>
<b>व्यय</b>		<b>2230.84</b>	<b>-</b>	<b>2468.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.64</b>

- नोट— 1. तथापि वर्ष 2002-03 में क्र. I से IV के अनुदान रु. 39614.39 लाख थे।  
2. ये राशियाँ उन राशियों को छोड़कर हैं, जो जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिये हैं तथा जिनका वितरण जिला पंचायतों के माध्यम से किया जाता है।

सारणी क्र. 3.10

**जिला पंचायतों के लिये अनुदान**  
**वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक**

(लाख रु.)

क्र.	विवरण	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05 अप्रै-1/2	2005&06 अप्रै-1/2
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला पंचायतों के लिये अनुदान	4268.56	4768.56	5398.20	8375.99	9918.10
2	जिला पंचायतों के लिये अनुदान					
i	स्टाम्प शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	750.00	800.00	800.00	800.00	800.00
ii.	बिक्री कर पर 10% अधिभार में पंचायतों को 30% अंश	175.00	210.00	0.00	210.00	0.00
iii.	लघु खनिजों पर रॉयल्टी	90.00	90.00	390.00	400.00	400.00
iv.	भू-राजस्व एवं सामान्य भू-उपकरण	2237.00	1696.00	514.00	3873.00	6076.00
<b>कुल</b>		<b>3252.00</b>	<b>2796.00</b>	<b>1704.00</b>	<b>5283.00</b>	<b>7276.00</b>
<b>व्यय</b>		<b>7520.56</b>	<b>7564.56</b>	<b>7102.20</b>	<b>13658.99</b>	<b>17194.10</b>
3	जिला पंचायतों के लिये अनुदान					
i	पंचायत कर्मियों का प्रशिक्षण	5.00	5.50	6.00	6.00	57.00
ii.	पंचायत कर्मियों का मानदेय	650.00	789.96	810.00	975.00	1067.04
iii.	पंचायतों को पुरस्कार	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
iv.	पंचायत एवं जिला स्तर गजट (मासिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन)	30.00	8.00	10.00	10.00	10.50
<b>कुल</b>		<b>735.00</b>	<b>853.46</b>	<b>876.00</b>	<b>1041.00</b>	<b>1184.54</b>
4	जिला पंचायतों के लिये अनुदान	31196.72	37295.13	39284.39	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

	; kst ukvka ds fØ; kko; u grq vupku] dlnz i ofrr ; kst uk; afeykdj *					
5	XIOa fo- vk- vupku ds fy; sjkT; I jdkj }kjk i pk; rka dks l erT; vak	2800.00	1400.00	655.00	2145.00	निरंक
6	XIOa foRr vk; kx vupku	8400.00	4200.00	1965.00	6435.00	-
7	XIIIOa foRr vk; kx vupku ¼ I s 7½ dk ; kx	- 50652.28	- 51313.15	- 49882.59	- 23279.99	12300.00 30678.64

नोट : \* केवल वित्तीय प्रावधान। पंचायती संस्थओं को जारी की गई वास्तविक राशियों की जानकारी उपलब्ध नहीं।  
£ अनुमानित आकड़े।

सारणी क्र. 3.11  
i pk; rka dks jkT; foRr vk; kx varj.k  
¼2001&2002 I s 2005&2006½

o"kl	mnns ;	vkc/u@ftl stkh fd; k@ftl usmi ; kx fd; k			
		ft-ia	t-ia	xk-ia	; kx
1	2	3	4	5	6
2001-02	जिला पंचायतों को सामान्य उद्देशीय अनुदान	40.00	-	-	40.00
	ग्रा. पंचायतों को आधारभूत सेवा अनुदान	-	-	4000.00	4000.00
	पंचायत अधिकारियों को मानदेय एवं अन्य सुविधायें <sup>£</sup>	228.56	-	-	228.56
<b>; kx</b>		<b>268.56</b>	<b>-</b>	<b>4000.00</b>	<b>4268.56</b>
2002-03	जिला पंचायतों को सामान्य उद्देशीय अनुदान	40.00	-	-	40.00
	ग्रा. पंचायतों को आधारभूत सेवा अनुदान	-	-	4500.00	4500.00
	पंचायत अधिकारियों को मानदेय एवं अन्य सुविधायें <sup>£</sup>	228.56	-	-	228.56
<b>; kx</b>		<b>268.56</b>	<b>-</b>	<b>4500.00</b>	<b>4768.56</b>
2003-04	जिला पंचायतों को सामान्य उद्देशीय अनुदान	50.00	-	-	50.00
	ग्रा. पंचायतों को आधारभूत सेवा अनुदान	-	-	5000.00	5000.00
	पंचायत अधिकारियों को मानदेय एवं अन्य सुविधायें <sup>£</sup>	348.20	-	-	348.20
<b>; kx</b>		<b>398.20</b>	<b>-</b>	<b>5000.00</b>	<b>5398.20</b>
2004-05	जिला पंचायतों को सामान्य उद्देशीय अनुदान	50.00	-	-	50.00
	ग्रा. पंचायतों को आधारभूत सेवा अनुदान	-	-	8000.00	8000.00
	पंचायत अधिकारियों को मानदेय एवं अन्य सुविधायें <sup>£</sup>	325.99	-	-	325.99

		<b>; kx</b>	<b>375.99</b>	<b>-</b>	<b>8000.00</b>	<b>8375.99</b>
2005-06 (ब.अ.)	जिला पंचायतों को सामान्य उद्देशीय अनुदान		150.00	-	-	150.00
	ग्रा. पंचायतों को आधारभूत सेवा अनुदान		-	-	9206.00	9206.00
	पंचायत अधिकारियों को मानदेय एवं अन्य सुविधायें <sup>£</sup>		562.10	-	-	562.10
		<b>; kx</b>	<b>712.10</b>	<b>-</b>	<b>9206.00</b>	<b>9918.10</b>

नोट— राज्य के पंचायत विभाग द्वारा प्रदत्त समकों में प्रत्येक वर्ष पंचायतों को “आबंटित” एवं “जारी की गई” तथा “उपयोग की गई” राशियां समान बताई गई हैं।

£ इस अनुदान का एक भाग जिला पंचायतों के द्वारा जनपद एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाता है।

सारणी क्र. 3.12  
**jkfo-vk varj.k jkT; dh dgy jktLo i kflr; ka ds i fr'kr ea**  
**1/2001&2002 I s 2005&2006 1/2**

o"l	jkT; I jdkj dh dgy jktLo i kflr; ka	jkT; ea dgy jkfo-vk dk ijk- I l Fkkvka dks varj.k	%
1	2	3	4
2001-02	437570	4268.56	0.98
2002-03	541730	4768.56	0.88
2003-04	595932	5398.20	0.91
2004-05 (पु.अ.)	745757	8375.99	1.12
2005-06 (ब.अ.)	788117	9918.10	1.26
% वृद्धि	80.11	132.35	28.57

सारणी क्र. 3.13  
**jkT; foRr vk; kx varj.k**  
**jkT; ds Lo; a ds jktLo 1/2j , oa xj & dj 1/2 ds i fr'kr ea**  
**1/2001&2002 I s 2005&2006 1/2**

o"l	jkT; dk Lo; a dk ½dj \$xj&dj½ jktLo	jkT; l jdkj }kjk i pk; rka dks tkjh jfk'k	i fr'kr
1	2	3	4
2001-02	271552	4268.56	1.572
2002-03	328400	4768.56	1.452
2003-04	371266	5398.20	1.454
2004-05 (पु.अ.)	422169	8375.99	1.984
2005-06 (ब.अ.)	464707	9918.10	2.134
% वृद्धि	71.13	132.35	35.775

स्रोत : पंचायत विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा प्रदत्त समंक।

सारणी क्र. 3.14

i pk; rka dks ekL; jkT; foRr vk; kx varj.k  
½jkT; l jdkj ds l dy dj , oa xj&dj jktLo dk 2-91%½  
rFkk okLrfod varj.k  
½2001&2002 l s 2005&2006½

o"l	jkT; dk Lo; a dk ½dj , oa xj&dj½ jktLo	i ajk-l &Fkkvka dk 2-91% vd kkkkx	i pk; rka dks fd; k x; k okLrfod varj.k	de varj r jfk'k ½&4½
1	2	3	4	5
2001-02	271552	7902.16	4268.56	3633.60
2002-03	328400	9556.44	4768.56	4787.88
2003-04	371266	10803.84	5398.20	5405.64



2004-05 (पु.अ.)	422169	12285.12	8375.99	3909.13
2005-06 (ब.अ.)	464707	13522.97	9918.10	3604.87
योग	1858094	54070.54	32729.41	21341.13
%		100.00	60.53	39.47

सारणी क्र. 3.15

1997-98 में जिलेवार ग्रामीण क्षेत्रफल के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सारणी में दर्ज संख्यायें जिलों के कुल क्षेत्रफल की हैं। तथापि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कुल आबंटन में इस घटक के प्रतिशत हिस्से की गणना ग्रामीण क्षेत्रफल के आँकड़ों के आधार पर कर सकती है।

Ø-	ftyk	xkeh.k tul ₹; k 1/2001½		xkeh.k {ks* oxl fdeh- %		xkia dk ifr 0; fDr vkjk-l a :- %		xkeh.k vuqtkfr \$ t-tk- yk[k %		ifr'kr fgLI k				
		yk[k	%	oxl fdeh-	%	:-	%	yk[k	%	xkeh.k tul ₹; k 60%	{ks-Qy 20%	xkia ifr0; fDr vkjk-l a 10%	l h l Vh xk 10%	; kx 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बस्तर	11.77	7.07	1702	12.34	5.86	4.02	8.73	10.69	4.24	2.47	0.40	1.07	8.18
2	बिलासपुर	15.12	9.08	857	6.21	17.47	11.99	6.74	8.26	5.45	1.24	1.20	0.83	8.72
3	दन्तेवाड़ा	6.67	4.01	1561	11.32	7.01	4.81	5.68	6.96	2.40	2.26	0.48	0.70	5.84
4	धमतरी	6.13	3.68	408	2.96	10.46	7.18	2.18	2.67	2.21	0.59	0.72	0.27	3.79
5	दुर्ग	17.38	10.44	870	6.31	14.18	9.73	5.09	6.23	6.26	1.26	0.97	0.62	9.12
6	जांजगीर चांपा	11.72	7.04	447	3.24	3.83	2.63	4.20	5.14	4.22	0.65	0.26	0.51	5.65
7	जशपुर	7.09	4.26	656	4.76	12.69	8.71	4.90	6.00	2.56	0.95	0.87	0.60	4.98
8	कांकेर	6.20	3.72	643	4.66	5.68	3.90	3.84	4.70	2.23	0.93	0.39	0.47	4.03
9	कवर्धा	5.40	3.24	435	3.15	5.92	4.06	1.86	2.28	1.95	0.63	0.41	0.23	3.21
10	कोरबा	6.45	3.87	715	5.18	5.15	3.53	4.22	5.17	2.32	1.04	0.35	0.52	4.23
11	कोरिया	4.12	2.47	598	4.34	1.20	0.82	2.63	3.22	1.48	0.87	0.08	0.32	2.75
12	महासमुंद	7.63	4.58	496	3.60	9.71	6.66	3.16	3.87	2.75	0.72	0.67	0.39	4.52
13	रायगढ़	10.96	6.58	653	4.73	3.98	2.73	5.83	7.14	3.95	0.95	0.27	0.71	5.88
14	रायपुर	20.99	12.61	1345	9.75	12.51	8.58	6.96	8.53	7.56	1.95	0.86	0.85	11.23
15	राजनांदगांव	10.52	6.32	802	5.82	14.47	9.93	4.21	5.16	3.79	1.16	0.99	0.52	6.46
16	सरगुजा	18.35	11.02	1603	11.62	15.62	10.72	11.42	13.99	6.61	2.32	1.07	1.40	11.41
	<b>; kx</b>	<b>166.48</b>	<b>100.00</b>	<b>13791</b>	<b>100.00</b>	<b>145.74</b>	<b>100.00</b>	<b>81.64</b>	<b>100.00</b>	<b>60.00</b>	<b>20.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00</b>

- जिलेवार ग्रामीण क्षेत्रफल के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सारणी में दर्ज संख्यायें जिलों के कुल क्षेत्रफल की हैं। तथापि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कुल आबंटन में इस घटक के प्रतिशत हिस्से की गणना ग्रामीण क्षेत्रफल के आँकड़ों के आधार पर कर सकती है।

सारणी क्र. 3.16

खोश, ओा खोश ओरर वक; कसका }कक ओक; रका दक वुणकु  
 १/२०००&२००१ ओ २००६&२००७ १/२

१/२क[क : -१/२

दलनह; ओरर वक; कस	ककर ओदक }कक कक; दक दलनह; ओरर वक; कस वुणकु		कक; ओदक दक ओसक वाककक	; कस	ओ-ओओ बवक दक ककह कक'क	ओक; रका }कक ओओ; कस ओओ कक }कक'क १/दक ओओ
	वक/ओ	ककह				
१	२	३	४	५	६	७
<b>खोक; ओरर वक; कस</b>						
२०००-०१	४२००	—	—	—	—	—
२००१-०२	४२००	८४००	२८००	११२००	११२००	—
२००२-०३	४२००	४२००	१४००	५६००	५६००	—
२००३-०४	१९६५	१९६५	६५५	२६२०	२६२०	—
२००४-०५	६४३५	६४३५	२१४५	८५८०	८५८०	—
<b>; कस</b>	<b>२१०००</b>	<b>२१०००</b>	<b>७०००</b>	<b>२८०००</b>	<b>२८०००</b>	<b>९०%</b>
<b>खोक; ओरर वक; कस</b>						
२००५-०६	१२३००	१२३२००	—	१२३००	१२३००	—
२००६-०७	१२३००	६१५०	—	६१५०	६१५०	५०%

स्रोत : पंचायत विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।

सारणी क्र. 3.17

**1 ढक; s x; sjktLo i ढक; rkdks l erY; vuqku**

Ø-	ik=rk	nş l erY; vuqku dh nj
1	2	3
I	<b>xke i ढक; r</b>	
1.	यदि वह भवनों पर कर की न्यूनतम दर/दरें निर्धारित करें तथा क वर्ष में 'शत प्रतिशत' वसूली दर प्राप्त करे	भवनों पर कर की वसूली का 50%
2	यदि वह भवनों पर कर न्यूनतम से अधिक परन्तु अधिकतम से कम निर्धारित करें तथा क वर्ष में न्यूनतम 90% वसूली दर प्राप्त करें	भवनों पर कर की वसूली का 75%
3	यदि वह अधिकतम दर निर्धारित करे तथा क वर्ष में न्यूनतम 80% वसूली दर प्राप्त करे	भवनों पर कर की वसूली का 100%
II	<b>ftyk i ढक; r</b>	
1	भू-उपकर की दर में वृद्धि	
i	रु. 2.50 से रु. 5 प्रति क रु. <b>kk&amp;jktLo</b>	बढ़े हुये उपकर की वसूली का 100%
ii	रु. 5 से अधिक तथा रु. 10 तक प्रति रूपया <b>kk&amp;jktLo</b>	वसूली का 150% जो बढ़े हुये उपकर से प्राप्त हो
III	<b>tuin i ढक; r / ftyk i ढक; r</b>	
1	अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	
i	अधिभार का अधिरोपण 20% से अधिक दर पर नहीं	अधिभार वसूली का 50%
ii	अधिभार का अधिरोपण 20% से अधिक परन्तु 40% से अधिक दर नहीं।	अधिभार वसूली का 75%
iii	अधिभार का अधिरोपण 40% से अधिक परन्तु 50% से अधिक दर पर नहीं	अधिभार वसूली का 100%
2	<b>tuin i ढक; r</b> द्वारा राज्य उत्पादन कर पर अधिभार	अधिभार वसूली का शुद्ध 50% राजस्व